

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

क्रमांक/सहायता/बाढ़/मरम्मत/2025-26/1427

दिनांक : 08.10.2025

प्रशासनिक स्वीकृति

शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ. 8(37)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/RAJKAJ REF NO. 18048007 दिनांक 29.09.2025 द्वारा जिला जयपुर में मानसून वर्ष 2025 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त आंगनवाड़ी भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरुत्थान हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 120/2025-26 प्रदान की गई है, के अनुसरण में बाल विकास परियोजना अधिकारी, जोबनेर के प्रस्तावित मरम्मत कार्यों की उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अभिशंधा अनुसार नीचे अंकित मरम्मत कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। विवरण इस प्रकार है :-

कार्यकारी अभिकरण : विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जोबनेर
बाल विकास परियोजना अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

क्र. सं.	तहसील	मरम्मत योग्य सम्पत्ति का नाम/स्थान का नाम	विवरण	राशि (लाखों में)
1	जोबनेर	आंगनवाड़ी केंद्र बंशीपुरा 1	खिड़की, दरवाजे, छत, फर्श	2.00
2	जोबनेर	आंगनवाड़ी केंद्र भोजपुरा कला 1	खिड़की, दरवाजे, छत, फर्श	2.00
3	जोबनेर	आंगनवाड़ी केंद्र बागडों का बास	खिड़की, दरवाजे, छत, फर्श	2.00
4	जोबनेर	आंगनवाड़ी केंद्र हरिपुरा	खिड़की, दरवाजे, छत, फर्श	2.00
5	जोबनेर	आंगनवाड़ी केंद्र डूंगरीकला 1	खिड़की, दरवाजे, छत, फर्श	2.00
6	जोबनेर	आंगनवाड़ी केंद्र गुमानपुरा	खिड़की, दरवाजे, छत, फर्श	2.00
7	जोबनेर	आंगनवाड़ी केंद्र जोरपुरा जोबनेर	खिड़की, दरवाजे, छत, फर्श	2.00
8	जोबनेर	आंगनवाड़ी केंद्र ढाणा नागान 2	खिड़की, दरवाजे, छत, फर्श	2.00
9	जोबनेर	आंगनवाड़ी केंद्र बोबास 3	खिड़की, दरवाजे, छत, फर्श	2.00
10	जोबनेर	आंगनवाड़ी केंद्र कुडियों का बास	खिड़की, दरवाजे, छत, फर्श	2.00
11	जोबनेर	आंगनवाड़ी केंद्र सांखेलों का बास	खिड़की, दरवाजे, छत, फर्श	2.00
12	जोबनेर	आंगनवाड़ी केंद्र बलाईयों का मोहल्ला	खिड़की, दरवाजे, छत, फर्श	2.00
13	जोबनेर	आंगनवाड़ी केंद्र मोहनपुरा	खिड़की, दरवाजे, छत, फर्श	2.00
14	जोबनेर	आंगनवाड़ी केंद्र खिरवा	खिड़की, दरवाजे, छत, फर्श	2.00
15	जोबनेर	आंगनवाड़ी केंद्र आसलपुर 4	खिड़की, दरवाजे, छत, फर्श	2.00
16	जोबनेर	आंगनवाड़ी केंद्र नया मोजा	खिड़की, दरवाजे, छत, फर्श	2.00
17	जोबनेर	आंगनवाड़ी केंद्र हिंगोनिया 2	सीलन दीवारों पर	2.00
18	जोबनेर	आंगनवाड़ी केंद्र लोचबो की ढाणी	सीलन व दरारें	2.00
19	जोबनेर	आंगनवाड़ी केंद्र गुडामन 1	सीलन व पानी टपकना	2.00
20	जोबनेर	आंगनवाड़ी केंद्र मुरलीपुरा	सीलन	2.00
21	जोबनेर	आंगनवाड़ी केंद्र धिरनोटिया	सीलन व पानी टपकना	2.00
22	जोबनेर	आंगनवाड़ी केंद्र खिजुरिया	सीलन व छत टपकना	2.00
23	जोबनेर	आंगनवाड़ी केंद्र केसा का बास	सीलन व छत टपकना	2.00
24	जोबनेर	आंगनवाड़ी केंद्र बंसीपुरा 2	सीलन व छत टपकना	2.00

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.08 11:32:26 IST
Reason: Approved



कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
www.jaipur.nic.in

25	जोबनेर	आंगनवाडी केंद्र डूंगरी कला 3	शीलन व छत टपकना	
26	जोबनेर	आंगनवाडी केंद्र करणसर 3	शीलन व छत टपकना	2.00
27	जोबनेर	आंगनवाडी केंद्र अगरपुरा	दीवारों का पलस्तर टूट गया	2.00
28	जोबनेर	आंगनवाडी केंद्र बरसी झाड़ड़ा	शीलन व पानी टपकना	2.00
29	जोबनेर	आंगनवाडी केंद्र चंदनपुरा	शीलन व पानी भर जाना	2.00
30	जोबनेर	आंगनवाडी केंद्र रामपुरा	शीलन छत व दीवारों पर	2.00
31	जोबनेर	आंगनवाडी केंद्र ढाणी बोरज 3	शीलन छत व दीवारों पर	2.00
32	जोबनेर	आंगनवाडी केंद्र गुढा कुमावतान	शीलन	2.00
33	जोबनेर	आंगनवाडी केंद्र ढाणी बोरज 2	शीलन व पानी टपकना	2.00
			योग	2.00
				66.00

उक्त राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित बजट मद से किया जावेगा :-

2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02 - बाढ़, चक्रवात आदि

107 - खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना

(02) - बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत

[01] - [बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत]

21 - अनुसंधान एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स) प्रतिबद्ध (केन्द्रीय सहायता 75% एवं राज्य निधि 25%)

उपरोक्त मरम्मत कार्य निम्न शर्तों के अधीन शर्तों के अधीन करवाये जावेंगे।

- उपरोक्त मरम्मत कार्य आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान के प्रशासनिक स्वीकृति आदेश दिनांक 29.09.2025 एवं दिशा-निर्देश क्रमांक RAJKAJ REF NO. 16877134 दिनांक 30.07.2025 में अंकित शर्तों एवं राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तथा इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार करवाये जावेंगे।
- वे कार्य जो Defect Liability Period के तहत आते हैं उनकी मरम्मत राशि राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से देय नहीं होगी।
- कार्यकारी अभिकरण की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार अनुमत कार्य ही करवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
- ये सभी कार्य प्रारम्भ किए जाने की तिथि से 30 दिवस की निर्धारित अवधि में ही पूर्ण कराने होंगे। निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा जारी कोष से मरम्मत कराये जाने संभव नहीं होंगे, कार्यकारी विभाग द्वारा विभागीय बजट से पूर्ण कराये जावेंगे।
- प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार स्वीकृत करवाये गये कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही करवाया जावेगा, इसका प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।
- कार्यकारी अभिकरण उक्त कार्यों के तकमीना तथा तकमीना स्वीकृति के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी जारी कर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास राज्य बजट मद अनुसंधान एवं सामग्री मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि उपलब्ध नहीं है तथा उक्त मद में राशि उपलब्ध होने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से राशि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में राशि अवशेष रहने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद को अवशेष राशि पुनर्गणन कर दी जावेगी।
- स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावें।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.04 13:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
www.jalpur.nic.in

0. उक्त राशि का व्यय एसडीआरएफ नोर्मा में अनुमत राजकीय भवनों के लिए ही किया जावे।
9. कार्यकारी अधिकरण बिना वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्यालय नहीं करेंगे, अगर कार्यालय किया जाता है, तो कार्यकारी विभाग के बजट मद से मरम्मत राशि वहन की जावेगी। समयावधि में उपयोग न हो सकने वाली राशि बिना किसी विलम्ब से समर्पित की जावे।
10. उपरोक्त मरम्मत कार्यों के तकनीकी/तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी विभाग द्वारा जारी किये जाने के उपरान्त ही इस कार्यालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी। इस हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी/
11. उपरोक्त मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावे। इस हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/सहायक अभियन्ता, स.नि. विभाग, मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की सुनिश्चितता बनाए रखने हेतु समय-समय पर निरीक्षण करें तथा उपखण्ड स्तरीय समिति निर्धारित अवधि में कार्यपूर्णता का निर्धारित पूर्ण प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगी।
12. अंकित कार्यों पर व्यय का अंशोक्षण होने पर अंशोक्षण कराने, आक्षेप अनुपालना पूर्ण कराने की जिम्मेदारी कार्यकारी अधिकरण की होगी।
13. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति में स्वीकृत कार्यों में से यदि मरम्मत कार्य विभागीय बजट मद से पूर्ण करवा लिये गये हैं, तो उन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जावे।
14. जिन आंगनवाड़ी भवनों को अनुपयोगी/जर्जर, किराये/निजी भवनों में संचालित है, तो उनके लिए स्वीकृत राशि का व्यय नहीं किया जायेगा तथा ऐसे कार्यों की तकनीकी स्वीकृति भी किसी भी स्थिति में जारी नहीं की जावे तथा इस कार्यालय को ऐसे भवनों की सूची पृथक से प्रस्तुत करने का दायित्व कार्यकारी अधिकरण का होगा।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलेक्टर,
जयपुर

प्रमाण/सम/ 1428

दिनांक : 08-10-2025

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, आपदा प्रवन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर।
4. तहसीलदार, जोबनेर।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जोबनेर।
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, जोबनेर।
7. गार्ड फत्रावली।

जिला कलेक्टर,
जयपुर

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.08 12:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

क्रमांक/सहायता/बाढ़/मरम्मत/2025-26/1429

दिनांक : 08/10/25

प्रशासनिक स्वीकृति

शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ. 8(37)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/RAJKAJ REF NO. 18048007 दिनांक 29.09.2025 द्वारा जिला जयपुर में मानसून वर्ष 2025 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त आंगनवाड़ी भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरुत्थान हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 120/2025-26 प्रदान की गई है, के अनुसरण में बाल विकास परियोजना अधिकारी, मौजमाबाद के प्रस्तावित मरम्मत कार्यों की उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अभिरक्षा अनुसार नीचे अंकित मरम्मत कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। विवरण इस प्रकार है :-

कार्यकारी अभिकरण : विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मौजमाबाद
बाल विकास परियोजना अधिकारी, मौजमाबाद, जयपुर

क्र. सं.	तहसील	मरम्मत योग्य सम्पत्ति का नाम/स्थान का नाम	विवरण	राशि (लाखों में)
1	मौजमाबाद	नयावास	छत से पानी टपकता है एवं खिड़किया दरवाजे व फर्श खराब	2.00
2	मौजमाबाद	पालूकला	छत से पानी टपकता है एवं खिड़किया दरवाजे व फर्श खराब	2.50
3	मौजमाबाद	गिदानी	छत से पानी टपकता है एवं खिड़किया दरवाजे व फर्श खराब	2.00
4	मौजमाबाद	सीतारामपुरा	छत से पानी टपकता है एवं खिड़किया दरवाजे व फर्श खराब	2.00
5	मौजमाबाद	भगवतसिंहपुरा	छत से पानी टपकता है एवं खिड़किया दरवाजे व फर्श खराब	2.50
6	मौजमाबाद	सावली-1	छत से पानी टपकता है एवं खिड़किया दरवाजे व फर्श खराब	2.50
7	मौजमाबाद	सुरपुरा	छत से पानी टपकता है एवं खिड़किया दरवाजे व फर्श खराब	2.50
8	मौजमाबाद	डेडू	छत से पानी टपकता है एवं खिड़किया दरवाजे व फर्श खराब	2.50
9	मौजमाबाद	रामपुरामुटिया	छत से पानी टपकता है एवं खिड़किया दरवाजे व फर्श खराब	2.00
10	मौजमाबाद	सवाईमानसिंहपुरा	छत से पानी टपकता है एवं खिड़किया दरवाजे व फर्श खराब	2.50
11	मौजमाबाद	सावाईमाधोसिंहपुरा	छत से पानी टपकता है एवं खिड़किया दरवाजे व फर्श खराब	2.50
12	मौजमाबाद	बिहारीपुर-2	छत से पानी टपकता है एवं खिड़किया दरवाजे व फर्श खराब	2.50
13	मौजमाबाद	धमाणा-2	छत से पानी टपकता है एवं खिड़किया दरवाजे व फर्श खराब	2.00
14	मौजमाबाद	लोरडी-2	छत से पानी टपकता है एवं खिड़किया दरवाजे व फर्श खराब	2.00
15	मौजमाबाद	धमाणा-1	छत से पानी टपकता है एवं खिड़किया दरवाजे व फर्श खराब	2.00
16	मौजमाबाद	बोराज-1	छत से पानी टपकता है एवं खिड़किया दरवाजे व फर्श खराब	2.50
17	मौजमाबाद	बोराज-3	छत से पानी टपकता है एवं खिड़किया दरवाजे व फर्श खराब	2.50
18	मौजमाबाद	बोराज-6	छत से पानी टपकता है एवं खिड़किया दरवाजे व फर्श खराब	2.00
19	मौजमाबाद	रामपुरयाडिया-2	छत से पानी टपकता है एवं खिड़किया दरवाजे व फर्श खराब	2.00
20	मौजमाबाद	गुढावेरसल-3	छत से पानी टपकता है एवं खिड़किया दरवाजे व फर्श खराब	2.00
21	मौजमाबाद	मांगलवाडा-1	छत से पानी टपकता है एवं खिड़किया दरवाजे व फर्श खराब	2.00
22	मौजमाबाद	मांगलवाडा-2	छत से पानी टपकता है एवं खिड़किया दरवाजे व फर्श खराब	2.00
23	मौजमाबाद	खुडियाला-1	छत से पानी टपकता है एवं खिड़किया दरवाजे व फर्श खराब	2.00

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.08 13:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
www.jaipur.nic.in

24	मौजमाबाद	गुढासहायपुरा	छत से पानी टपकता है एवं खिडकिया दरवाजे व फर्श खराब	2.00
25	मौजमाबाद	उगरियावास-2	छत से पानी टपकता है एवं खिडकिया दरवाजे व फर्श खराब	2.00
26	मौजमाबाद	उगरियावास-3	छत से पानी टपकता है एवं खिडकिया दरवाजे व फर्श खराब	2.00
27	मौजमाबाद	उगरियावास-4	छत से पानी टपकता है एवं खिडकिया दरवाजे व फर्श खराब	2.00
28	मौजमाबाद	झरना	छत से पानी टपकता है एवं खिडकिया दरवाजे व फर्श खराब	2.00
29	मौजमाबाद	केसरिसिंहपुरा	छत से पानी टपकता है एवं खिडकिया दरवाजे व फर्श खराब	2.00
30	मौजमाबाद	कोटजेवर	छत से पानी टपकता है एवं खिडकिया दरवाजे व फर्श खराब	2.00
31	मौजमाबाद	मौजमाबाद-1	छत से पानी टपकता है एवं खिडकिया दरवाजे व फर्श खराब	2.50
32	मौजमाबाद	खटवाड-1	छत से पानी टपकता है एवं खिडकिया दरवाजे व फर्श खराब	2.50
33	मौजमाबाद	खटवाड-2	छत से पानी टपकता है एवं खिडकिया दरवाजे व फर्श खराब	2.50
34	मौजमाबाद	गंगाती खुर्द	छत से पानी टपकता है एवं खिडकिया दरवाजे व फर्श खराब	2.50
35	मौजमाबाद	गाडोता	छत से पानी टपकता है एवं खिडकिया दरवाजे व फर्श खराब	2.50
36	मौजमाबाद	झाग-3	छत से पानी टपकता है एवं खिडकिया दरवाजे व फर्श खराब	2.50
37	मौजमाबाद	मानपुरा	छत से पानी टपकता है एवं खिडकिया दरवाजे व फर्श खराब	2.50
38	मौजमाबाद	चान्द्रमूल	छत से पानी टपकता है एवं खिडकिया दरवाजे व फर्श खराब	2.50
39	मौजमाबाद	रामपुर बाडिया-2	छत से पानी टपकता है एवं खिडकिया दरवाजे व फर्श खराब	2.50
40	मौजमाबाद	गोपालपुरा	छत से पानी टपकता है एवं खिडकिया दरवाजे व फर्श खराब	2.50
41	मौजमाबाद	भैराणा	छत से पानी टपकता है एवं खिडकिया दरवाजे व फर्श खराब	2.00
42	मौजमाबाद	डोईयो की ढाणी मौजमाबाद	छत से पानी टपकता है एवं खिडकिया दरवाजे व फर्श खराब	2.50
43	मौजमाबाद	बिचुन प्रथम	छत से पानी टपकता है एवं खिडकिया दरवाजे व फर्श खराब	2.50
44	मौजमाबाद	अणतपुरा	छत से पानी टपकता है एवं खिडकिया दरवाजे व फर्श खराब	2.50
45	मौजमाबाद	गाडोती	छत से पानी टपकता है एवं खिडकिया दरवाजे व फर्श खराब	2.50
योग				102.00

उक्त राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित बजट मद से किया जावेगा :-

2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02 - बाढ़, चक्रवात आदि

107 - खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना

(02) - बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत

[01] - [बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत]

21 - अनुसूचण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स) प्रतिबद्ध (केन्द्रीय सहायता 75% एवं राज्य निधि 25%)

उपरोक्त मरम्मत कार्य निम्न शर्तों के अधीन शर्तों के अधीन करवाये जावेंगे।

- उपरोक्त मरम्मत कार्य आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान के प्रशासनिक स्वीकृति आदेश दिनांक 29.09.2025 एवं दिशा-निर्देश क्रमांक RAJKAJ REF NO. 16877134 दिनांक 30.07.2025 में अंकित शर्तों एवं राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तथा इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार करवाये जावेंगे।
- ये कार्य जो Defect Liability Period के तहत आते हैं उनकी मरम्मत राशि राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से देय नहीं होगी।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.01 12:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
www.jaipur.nic.in

3. कार्यकारी अभिकरण की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि ये एराडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार अनुमत कार्य ही करवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपदा पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
4. ये सभी कार्य प्रारम्भ किए जाने की तिथि से 30 दिवस की निर्धारित अवधि में ही पूर्ण कराने होंगे। निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में आपदा प्रवन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा जारी कोष से मरम्मत कराये जाने संभव नहीं होंगे, कार्यकारी विभाग द्वारा विभागीय बजट से पूर्ण कराये जावेंगे।
5. प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार स्वीकृत करवाये गये कार्य एराडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही करवाया जावेगा, इराका प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।
6. कार्यकारी अभिकरण उक्त कार्यों के तकमीना तथा तकमीना स्वीकृति के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी जारी कर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास राज्य बजट मद अनुरक्षण एवं सामग्री मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि उपलब्ध नहीं है तथा उक्त मद में राशि उपलब्ध होने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से राशि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में राशि अवशेष रहने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद को अवशेष राशि पुनर्भरण कर दी जावेगी।
7. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
8. उक्त राशि का व्यय एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत राजकीय भवनों के लिए ही किया जावे।
9. कार्यकारी अभिकरण विना वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए विना कार्यारम्भ नहीं करेंगे, अगर कार्यारम्भ किया जाता है, तो कार्यकारी विभाग के बजट मद से मरम्मत राशि वहन की जावेगी। समयावधि में उपयोग न हो सकने वाली राशि विना किसी विलम्ब से समर्पित की जावे।
10. उपरोक्त मरम्मत कार्यों के तकमीना/तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी विभाग द्वारा जारी किये जाने के उपरान्त ही इस कार्यालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।
11. उपरोक्त मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावे। इस हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/सहायक अभियन्ता, सा.नि. विभाग, मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की सुनिश्चितता बनाए रखने हेतु समय-समय पर निरीक्षण करें तथा उपखण्ड स्तरीय समिति निर्धारित अवधि में कार्यपूर्णता का निर्धारित पूर्ण प्रमाण पत्र प्रेषित करेगी।
12. अंकित कार्यों पर व्यय का अंकेक्षण होने पर अंकेक्षण कराने, आक्षेप अनुपालना पूर्ण कराने की जिम्मेदारी कार्यकारी अभिकरण की होगी।
13. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति में स्वीकृत कार्यों में से यदि मरम्मत कार्य विभागीय बजट मद से पूर्ण करवा लिये गये हैं, तो उन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जावे।
14. जिन आंगनबाड़ी भवनों को अनुपयोगी/जर्जर, किराये/निजी भवनों में संचालित हैं, तो उनके लिए स्वीकृत राशि का व्यय नहीं किया जावेगा तथा ऐसे कार्यों की तकनीकी स्वीकृति भी किसी भी स्थिति में जारी नहीं की जावे तथा इस कार्यालय को ऐसे भवनों की सूची पृथक से प्रस्तुत करने का दायित्व कार्यकारी अभिकरण का होगा।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)

जिला कलेक्टर,

जयपुर

दिनांक : 08/10/25

क्रमांक/सम/1430

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, आपदा प्रवन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitesh Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.08 12:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
www.jaipur.nic.in

3. उपखण्ड अधिकारी, मौजगावाड ।
4. सहस्रीलदार, मौजगावाड ।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मौजगावाड ।
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, मौजगावाड ।
7. गार्ड पत्रायली ।

जिला कलेक्टर,
जयपुर

Validity unknown
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.06 12:32:26 IST
Reason: Approved

प्रशासनिक स्वीकृति

शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ. 8(37)आ.प्र. एवं सहा. / बाढ़ / प्रस्ताव / 2025 / RAJKAJ REF NO. 18048007 दिनांक 29.09.2025 द्वारा जिला जयपुर में मानसून वर्ष 2025 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त आंगनबाड़ी भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरुत्थान हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 120/2025-26 प्रदान की गई है, के अनुसरण में बाल विकास परियोजना अधिकारी, माधोराजपुरा के प्रस्तावित मरम्मत कार्यों की उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अभिशंका अनुसार नीचे अंकित मरम्मत कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। विवरण इस प्रकार है :-

कार्यकारी अभिकरण : विकास अधिकारी, पंचायत समिति, माधोराजपुरा
बाल विकास परियोजना अधिकारी, माधोराजपुरा, जयपुर

क्र. सं.	तहसील	मरम्मत योग्य सम्पत्ति का नाम/स्थान का नाम	विवरण	राशि (लाखों में)
1	माधोराजपुरा	आगनबाड़ी केन्द्र हरसूलिया	खिडकी दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
2	माधोराजपुरा	आगनबाड़ी केन्द्र कौशल्या दास की बाबडी	खिडकी दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
3	माधोराजपुरा	आगनबाड़ी केन्द्र मस्ता	दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
4	माधोराजपुरा	आगनबाड़ी केन्द्र डिडावता-01	खिडकी दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
5	माधोराजपुरा	आगनबाड़ी केन्द्र मानपुर गेट	खिडकी दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
6	माधोराजपुरा	आगनबाड़ी केन्द्र आनरोटा	दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
7	माधोराजपुरा	आगनबाड़ी केन्द्र पीपला-03	खिडकी छत, व फर्श	2.00
8	माधोराजपुरा	आगनबाड़ी केन्द्र खिजुरिया	खिडकी दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
9	माधोराजपुरा	आगनबाड़ी केन्द्र मण्डालिया जागियान	खिडकी दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
10	माधोराजपुरा	आगनबाड़ी केन्द्र गणेशपुरा	छत व फर्श	2.00
11	माधोराजपुरा	आगनबाड़ी केन्द्र धित्तोडा-01	दीवार छत व फर्श	2.00
12	माधोराजपुरा	आगनबाड़ी केन्द्र बोकडाबास	खिडकी दरवाजे, व फर्श	2.00
13	माधोराजपुरा	आगनबाड़ी केन्द्र जयपालपुरा	दीवार छत व फर्श	2.00
14	माधोराजपुरा	आगनबाड़ी केन्द्र रामपुरा चौखावाला	खिडकी दरवाजे, व फर्श	2.00
15	माधोराजपुरा	आगनबाड़ी केन्द्र तूत की ढाणी	दीवार छत व फर्श	2.00
16	माधोराजपुरा	आगनबाड़ी केन्द्र धित्तोडा-03	खिडकी दरवाजे, व फर्श	2.00
17	माधोराजपुरा	आगनबाड़ी केन्द्र जाबड	दीवार छत व फर्श	2.00
18	माधोराजपुरा	आगनबाड़ी केन्द्र सीतारामपुरा	खिडकी दरवाजे, व फर्श	2.00
19	माधोराजपुरा	आगनबाड़ी केन्द्र रेनवाल-04	खिडकी दरवाजे, व फर्श	2.00
20	माधोराजपुरा	आगनबाड़ी केन्द्र भाकरोटा-01	दीवार छत व फर्श	2.00
21	माधोराजपुरा	आगनबाड़ी केन्द्र झाराना	खिडकी दरवाजे, व फर्श	2.00

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.08 11:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

22	माधोराजपुरा	आगनबाडी केन्द्र चांदमा काला-01	खिडकी दरवाजे, व फर्श	2.00
23	माधोराजपुरा	आगनबाडी केन्द्र माधोराजपुरा-05	खिडकी दरवाजे, व फर्श	2.00
24	माधोराजपुरा	आगनबाडी केन्द्र भांकरोटा-02	दीवारे छत व फर्श	2.00
25	माधोराजपुरा	आगनबाडी केन्द्र ढाणी बैरवा चांदमा कला	खिडकी दरवाजे, व फर्श	2.00
26	माधोराजपुरा	आगनबाडी केन्द्र डालूवाला	खिडकी दरवाजे, व फर्श	2.00
27	माधोराजपुरा	आगनबाडी केन्द्र मालिया की ढाणी हरसूलिया	दीवारे छत व फर्श	2.00
28	माधोराजपुरा	आगनबाडी केन्द्र जानकी नाथपुरा	खिडकी दरवाजे, व फर्श	2.00
29	माधोराजपुरा	आगनबाडी केन्द्र पीपला-01.	दीवारे छत व फर्श	2.00
30	माधोराजपुरा	आगनबाडी केन्द्र नवलकिशोरपुरा	खिडकी दरवाजे, व फर्श	2.00
31	माधोराजपुरा	आगनबाडी केन्द्र हनुतिया खुर्द-02	खिडकी दरवाजे, व फर्श	2.00
32	माधोराजपुरा	आगनबाडी केन्द्र झाराना खुर्द	दीवारे छत व फर्श	2.00
33	माधोराजपुरा	आगनबाडी केन्द्र नयां गांव चन्द्रपुरा	खिडकी दरवाजे, व फर्श	2.00
34	माधोराजपुरा	आगनबाडी केन्द्र चंद्रपुरा	खिडकी दरवाजे, व फर्श	2.00
35	माधोराजपुरा	आगनबाडी केन्द्र डाबिच	दीवारे छत व फर्श	2.00
36	माधोराजपुरा	आगनबाडी केन्द्र डाबिच मालियान	खिडकी दरवाजे, व फर्श	2.00
37	माधोराजपुरा	आगनबाडी केन्द्र श्रीरामजीपुरा	खिडकी दरवाजे, व फर्श	2.00
38	माधोराजपुरा	आगनबाडी केन्द्र झोपडिया	दीवारे छत व फर्श	2.00
39	माधोराजपुरा	आगनबाडी केन्द्र मण्डलिया	खिडकी दरवाजे, व फर्श	2.00
40	माधोराजपुरा	आगनबाडी केन्द्र सेन्दरिया	खिडकी दरवाजे, व फर्श	2.00
41	माधोराजपुरा	आगनबाडी केन्द्र डिडावता-02	दीवारे छत व फर्श	2.00
42	माधोराजपुरा	आगनबाडी केन्द्र डिडावता रैगरो की ढाणी	खिडकी दरवाजे, व फर्श	2.00
43	माधोराजपुरा	आगनबाडी केन्द्र गोपालपुरा	दीवारे छत व फर्श	2.00
44	माधोराजपुरा	आगनबाडी केन्द्र डाबिच गुजरान	खिडकी दरवाजे, व फर्श	2.00
45	माधोराजपुरा	आगनबाडी केन्द्र झाडला	दीवारे छत व फर्श	2.00
46	माधोराजपुरा	आगनबाडी केन्द्र रायथल	खिडकी दरवाजे, व फर्श	2.00
47	माधोराजपुरा	आगनबाडी केन्द्र गोपालनगर	दीवारे छत व फर्श	2.00
48	माधोराजपुरा	आगनबाडी केन्द्र जयचन्द का बास	खिडकी दरवाजे, व फर्श	2.00
49	माधोराजपुरा	आगनबाडी केन्द्र दीसरा	दीवारे छत व फर्श	2.00
50	माधोराजपुरा	आगनबाडी केन्द्र एसी.एस.टी. मीणा ढाणी	खिडकी दरवाजे, व फर्श	2.00
योग				100.00

उक्त राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित बजट मद से किया जावेगा :-

2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02 - बाढ़, चक्रवात आदि

107 - खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना

(02) - बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत

[01] - [बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत]

21 - अनुसंधान एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स) प्रतिबद्ध (केन्द्रीय सहायता 75% एवं राज्य निधि 25%)

उपरोक्त मरम्मत कार्य निम्न शर्तों के अधीन शर्तों के अधीन करवाये जावेंगे।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.01 15:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

1. उपरोक्त मरम्मत कार्य आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान के प्रशासनिक स्वीकृति आदेश दिनांक 29.09.2025 एवं दिशा-निर्देश क्रमांक RAJKAJ REF NO. 16877134 दिनांक 30.07.2025 में अंकित शर्तों एवं राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तथा इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार करवाये जायेंगे।
2. वे कार्य जो Defect Liability Period के तहत आते हैं उनकी मरम्मत राशि राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से देय नहीं होगी।
3. कार्यकारी अभिकरण की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार अनुमत कार्य ही करवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
4. ये सभी कार्य प्रारम्भ किए जाने की तिथि से 30 दिवस की निर्धारित अवधि में ही पूर्ण कराने होंगे। निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा जारी कोष से मरम्मत कराये जाने संभव नहीं होंगे, कार्यकारी विभाग द्वारा विभागीय बजट से पूर्ण कराये जायेंगे।
5. प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार स्वीकृत करवाये गये कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही करवाया जावेगा, इसका प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।
6. कार्यकारी अभिकरण उक्त कार्यों के तकमीना तथा तकमीना स्वीकृति के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी जारी कर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास राज्य बजट मद अनुरक्षण एवं सामग्री मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि उपलब्ध नहीं है तथा उक्त मद में राशि उपलब्ध होने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से राशि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में राशि अवशेष रहने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद को अवशेष राशि पुनर्भरण कर दी जावेगी।
7. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
8. उक्त राशि का व्यय एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत राजकीय भवनों के लिए ही किया जावे।
9. कार्यकारी अभिकरण बिना वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्याभार नहीं करेंगे, अगर कार्याभार किया जाता है, तो कार्यकारी विभाग के बजट मद से मरम्मत राशि वहन की जावेगी। समयावधि में उपयोग न हो सकने वाली राशि बिना किसी विलम्ब से समर्पित की जावे।
10. उपरोक्त मरम्मत कार्यों के तकमीना/तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी विभाग द्वारा जारी किये जाने के उपरान्त ही इस कार्यालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।
11. उपरोक्त मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावे। इस हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/सहायक अभियन्ता, सा.नि. विभाग, मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की सुनिश्चितता बनाए रखने हेतु समय-समय पर निरीक्षण करें तथा उपखण्ड स्तरीय समिति निर्धारित अवधि में कार्यपूर्णता का निर्धारित पूर्ण प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगे।
12. अंकित कार्यों पर व्यय का अंकेक्षण होने पर अंकेक्षण कराने, आक्षेप अनुपालना पूर्ण कराने की जिम्मेदारी कार्यकारी अभिकरण की होगी।
13. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति में स्वीकृत कार्यों में से यदि मरम्मत कार्य विभागीय बजट मद से पूर्ण करवा लिये गये हैं, तो उन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जावे।
14. जिन आंगनबाड़ी भवनों को अनुपयोगी/जर्जर, किराये/निजी भवनों में संचालित है, तो उनके लिए स्वीकृत राशि का व्यय नहीं किया जावेगा तथा ऐसे कार्यों की तकनीकी स्वीकृति भी किसी भी स्थिति में जारी नहीं की जावेगी।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.01 12:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
www.jaipur.nic.in

जायें तथा इस कार्यालय को ऐसे भवनों की सूची पृथक से प्रस्तुत करने का दायित्व कार्यकारी अभिकरण का होगा।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलेक्टर,
जयपुर

दिनांक : 08/10/25

क्रमांक/सम/1432

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी, माधोराजपुरा।
4. तहसीलदार, माधोराजपुरा।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, माधोराजपुरा।
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, माधोराजपुरा।
7. गार्ड फ़ाइल।

जिला कलेक्टर,
जयपुर

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.08 12:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
www.jaipur.nic.in

क्रमांक/सहायता/बाढ़/मरम्मत/2025-26/1433

दिनांक : 08/10/25

प्रशासनिक स्वीकृति

शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ. 8(37)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/RAJKAJ REF NO. 18048007 दिनांक 29.09.2025 द्वारा जिला जयपुर में मानसून वर्ष 2025 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त आंगनबाड़ी भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरुत्थान हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 120/2025-26 प्रदान की गई है, के अनुसरण में बाल विकास परियोजना अधिकारी, किशनगढ़ रेनवाल के प्रस्तावित मरम्मत कार्यों की उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अभिशंका अनुसार नीचे अंकित मरम्मत कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विवरण इस प्रकार है :

कार्यकारी अभिकरण : विकास अधिकारी, पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल
बाल विकास परियोजना अधिकारी, किशनगढ़-रेनवाल, जयपुर

क्र. सं.	तहसील	मरम्मत योग्य सम्पत्ति का नाम/स्थान का नाम	विवरण	राशि (लाखों में)
1	कि.रेनवाल	आंगनबाड़ी केन्द्र जूनसिया-1	छत फर्श दीवारें खिड़कियां दरवाजे	2.50
2	कि.रेनवाल	आंगनबाड़ी केन्द्र जूनसिया-2	छत एवं फर्श	2.50
3	कि.रेनवाल	आंगनबाड़ी केन्द्र लालासर-2	छत एवं फर्श	2.00
4	कि.रेनवाल	आंगनबाड़ी केन्द्र लालासर-4	छत एवं फर्श	2.00
5	कि.रेनवाल	आंगनबाड़ी केन्द्र हरसोली-2	छत फर्श खिड़की	2.50
6	कि.रेनवाल	आंगनबाड़ी केन्द्र हरसोली-3	छत फर्श दीवारें खिड़कियां दरवाजे	2.50
7	कि.रेनवाल	आंगनबाड़ी केन्द्र मण्डाभीमसिंह-1	छत	2.50
8	कि.रेनवाल	आंगनबाड़ी केन्द्र मण्डाभीमसिंह-4	छत फर्श दीवारें खिड़कियां दरवाजे	2.50
9	कि.रेनवाल	आंगनबाड़ी केन्द्र प्रतापपुरा	छत फर्श	1.50
10	कि.रेनवाल	आंगनबाड़ी केन्द्र बघाल-2	छत फर्श दीवारें दरवाजे	2.50
11	कि.रेनवाल	आंगनबाड़ी केन्द्र बाघावास-3	छत	1.00
12	कि.रेनवाल	आंगनबाड़ी केन्द्र सुरपुरा	छत फर्श दरवाजा	2.50
13	कि.रेनवाल	आंगनबाड़ी केन्द्र सांपो की ढाणी	छत खिड़कियां दरवाजे	2.50
14	कि.रेनवाल	आंगनबाड़ी केन्द्र लूनियावास-1	छत फर्श दीवारें खिड़कियां दरवाजे	2.50
15	कि.रेनवाल	आंगनबाड़ी केन्द्र ईटावा-2	जर्जर भवन	2.50
16	कि.रेनवाल	आंगनबाड़ी केन्द्र मैसलाना-1	छत एवं फर्श	2.50
17	कि.रेनवाल	आंगनबाड़ी केन्द्र सूण्डों का बास	छत फर्श खिड़की	2.50
18	कि.रेनवाल	आंगनबाड़ी केन्द्र मण्डाभीमसिंह-2	छत फर्श दीवारें खिड़कियां दरवाजे	2.50
19	कि.रेनवाल	आंगनबाड़ी केन्द्र मण्डाभीमसिंह-3	छत	2.50
20	कि.रेनवाल	आंगनबाड़ी केन्द्र मण्डाभीमसिंह-5	छत फर्श दीवारें खिड़कियां दरवाजे	2.50
21	कि.रेनवाल	आंगनबाड़ी केन्द्र बाघावास-4	छत फर्श	2.50
22	कि.रेनवाल	आंगनबाड़ी केन्द्र सुखालपुरा	छत फर्श दीवारें दरवाजे	2.50

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.08 15:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
www.jaipur.nic.in

23	कि.रेनवाल	आंगनबाडी केन्द्र भादवा-1	छत फर्श दीवारें खिडकियां दरवाजे	2.50
24	कि.रेनवाल	आंगनबाडी केन्द्र मुण्डियागढ	फर्श खिडकियां	2.50
25	कि.रेनवाल	आंगनबाडी केन्द्र खडी मिल्क-1	छत	2.50
26	कि.रेनवाल	आंगनबाडी केन्द्र मोहन का बास	छत फर्श दरवाजा	2.50
27	कि.रेनवाल	आंगनबाडी केन्द्र डयोडी-2	छत खिडकियां दरवाजे	2.50
28	कि.रेनवाल	आंगनबाडी केन्द्र कोडी	छत खिडकियां दरवाजे	2.50
29	कि.रेनवाल	आंगनबाडी केन्द्र पहाडपुरा	छत खिडकियां दरवाजे	2.50
30	कि.रेनवाल	आंगनबाडी केन्द्र मिण्डी	छत खिडकियां दरवाजे	2.50
31	कि.रेनवाल	आंगनबाडी केन्द्र मैसलाना-2	छत खिडकियां दरवाजे	2.50
32	कि.रेनवाल	आंगनबाडी केन्द्र जोधपुरा	छत खिडकियां दरवाजे	2.50
योग				76.50

कार्यकारी अभिकरण : अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका किशनगढ रेनवाल
बाल विकास परियोजना अधिकारी, किशनगढ-रेनवाल (नगर पालिका क्षेत्र), जयपुर

क्र. सं.	तहसील	मरम्मत योग्य सम्पत्ति का नाम/स्थान का नाम	विवरण	राशि (लाखों में)
1	कि.रेनवाल	आंगनबाडी केन्द्र वार्ड नम्बर 03	छत फर्श दीवारें खिडकियां दरवाजे	2.50
2	कि.रेनवाल	आंगनबाडी केन्द्र वार्ड नम्बर 19	फर्श खिडकियां	1.00
3	कि.रेनवाल	आंगनबाडी केन्द्र वार्ड नम्बर-1	छत एवं फर्श	2.50
4	कि.रेनवाल	आंगनबाडी केन्द्र वार्ड नम्बर-6	छत खिडकियां दरवाजे	2.50
योग				8.50

गोश्वारा

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	मरम्मत कार्य की संख्या	राशि (लाखों में)
1	बाल विकास परियोजना अधिकारी, किशनगढ-रेनवाल, जयपुर	32	76.50
2	बाल विकास परियोजना अधिकारी, किशनगढ-रेनवाल (नगर पालिका क्षेत्र) जयपुर	4	8.50
सर्व योग:-		36	85.00

उक्त राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित बजट मद से किया जावेगा :-

2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02 - बाढ़, चक्रवात आदि

107 - खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना

(02) - बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत

[01] - [बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत]

21 - अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स) प्रतिबद्ध (केन्द्रीय सहायता 75% एवं राज्य निधि 25%)

उपरोक्त मरम्मत कार्य निम्न शर्तों के अधीन शर्तों के अधीन करवाये जावेंगे।

- उपरोक्त मरम्मत कार्य आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान के प्रशासनिक स्वीकृति आदेश दिनांक 29.09.2025 एवं दिशा-निर्देश क्रमांक RAJKAJ REF NO. 16877134 दिनांक 30.07.2025 में अंकित शर्तों एवं

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.06 12:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

- राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तथा इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार करवाये जायेंगे।
- वे कार्य जो Defect Liability Period के तहत आते हैं उनकी मरम्मत राशि राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से देय नहीं होगी।
 - कार्यकारी अभिकरण की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार अनुमत कार्य ही करवाया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
 - ये सभी कार्य प्रारम्भ किए जाने की तिथि से 30 दिवस की निर्धारित अवधि में ही पूर्ण कराने होंगे। निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा जारी कोष से मरम्मत कराये जाने संभव नहीं होंगे, कार्यकारी विभाग द्वारा विभागीय बजट से पूर्ण कराये जायेंगे।
 - प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार स्वीकृत करवाये गये कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही करवाया जावेगा, इसका प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।
 - कार्यकारी अभिकरण उक्त कार्यों के तकमीना तथा तकमीना स्वीकृति के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी जारी कर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास राज्य बजट मद अनुरक्षण एवं सामग्री मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि उपलब्ध नहीं है तथा उक्त मद में राशि उपलब्ध होने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से राशि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में राशि अवशेष रहने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद को अवशेष राशि पुनर्गणन कर दी जावेगी।
 - स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
 - उक्त राशि का व्यय एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत राजकीय भवनों के लिए ही किया जावे।
 - कार्यकारी अभिकरण बिना वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्यारम्भ नहीं करेंगे, अगर कार्यारम्भ किया जाता है, तो कार्यकारी विभाग के बजट मद से मरम्मत राशि वहन की जावेगी। समयावधि में उपयोग न हो सकने वाली राशि बिना किसी विलम्ब से समर्पित की जाये।
 - उपरोक्त मरम्मत कार्यों के तकमीना/तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी विभाग द्वारा जारी किये जाने के उपरान्त ही इस कार्यालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।
 - उपरोक्त मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावे। इस हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/सहायक अभियन्ता, सा.नि. विभाग, मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की सुनिश्चितता बनाए रखने हेतु समय-समय पर निरीक्षण करें तथा उपखण्ड स्तरीय समिति निर्धारित अवधि में कार्यपूर्णता का निर्धारित पूर्ण प्रमाण पत्र प्रेषित करेगी।
 - अंकित कार्यों पर व्यय का अंकेक्षण होने पर अंकेक्षण कराने, आक्षेप अनुपालना पूर्ण कराने की जिम्मेदारी कार्यकारी अभिकरण की होगी।
 - उक्त प्रशासनिक स्वीकृति में स्वीकृत कार्यों में से यदि मरम्मत कार्य विभागीय बजट मद से पूर्ण करवा लिये गये हैं, तो उन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जावे।
 - जिन आंगनबाड़ी भवनों को अनुपयोगी/जर्जर, किराये/निजी भवनों में संचालित है, तो उनके लिए स्वीकृत राशि का व्यय नहीं किया जावेगा तथा ऐसे कार्यों की तकनीकी स्वीकृति भी किसी भी स्थिति में जारी नहीं की जावे तथा इस कार्यालय को ऐसे भवनों की सूची पृथक से प्रस्तुत करने का दायित्व कार्यकारी अभिकरण का होगा।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलेक्टर,
जयपुर

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.01 13:32:26 IST
Reason: Approved

कायालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
www.jaipur.nic.in

क्रमांक/सम/ 1434

दिनांक : 08/10/25

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ रेनवाल।
4. तहसीलदार, किशनगढ़ रेनवाल।
5. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका किशनगढ़ रेनवाल।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, किशनगढ़ रेनवाल।
7. बाल विकास परियोजना अधिकारी, किशनगढ़ रेनवाल।
8. गार्ड पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
जयपुर

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.08 12:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
www.jaipur.nic.in

क्रमांक/सहायता/बाढ़/मरम्मत/2025-26/1435

दिनांक : 08/10/25

प्रशासनिक स्वीकृति

शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ. 8(37)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/RAJKAJ REF NO. 18048007 दिनांक 29.09.2025 द्वारा जिला जयपुर में मानसून वर्ष 2025 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त आंगनवाड़ी भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरुत्थान हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 120/2025-26 प्रदान की गई है, के अनुसरण में बाल विकास परियोजना अधिकारी, शाहपुरा के प्रस्तावित मरम्मत कार्यों की उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अभिशंषा अनुसार नीचे अंकित मरम्मत कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। विवरण इस प्रकार है :-

कार्यकारी अभिकरण : अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मनोहरपुर

बाल विकास परियोजना अधिकारी, शाहपुरा (नगर पालिका क्षेत्र मनोहरपुर), जयपुर

क्र. सं.	तहसील	मरम्मत योग्य सम्पत्ति का नाम/स्थान का नाम	विवरण	राशि (लाखों में)
1	शाहपुरा	आंगनवाड़ी केन्द्र इंदिरा कॉलोनी मनोहरपुर	खिडकी, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
2	शाहपुरा	आंगनवाड़ी केन्द्र शान्तिनगर मनोहरपुर	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
3	शाहपुरा	आंगनवाड़ी केन्द्र अम्बेडकरनगर	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
4	शाहपुरा	आंगनवाड़ी केन्द्र मनोहरपुर-4	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
5	शाहपुरा	आंगनवाड़ी केन्द्र मनोहरपुर-1	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
6	शाहपुरा	आंगनवाड़ी केन्द्र मनोहरपुर-3	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
			योग	15.00

कार्यकारी अभिकरण : आयुक्त, नगर परिषद शाहपुरा

बाल विकास परियोजना अधिकारी, शाहपुरा (नगर परिषद शाहपुरा), जयपुर

क्र. सं.	तहसील	मरम्मत योग्य सम्पत्ति का नाम/स्थान का नाम	विवरण	राशि (लाखों में)
1	शाहपुरा	आंगनवाड़ी केन्द्र वार्ड नं.08	खिडकी, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
2	शाहपुरा	आंगनवाड़ी केन्द्र बुनकर मोहल्ला	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
3	शाहपुरा	आंगनवाड़ी केन्द्र वार्ड नं.0 11	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
4	शाहपुरा	आंगनवाड़ी केन्द्र आदर्श कालोनी	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
			योग	10.00

कार्यकारी अभिकरण : विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शाहपुरा

बाल विकास परियोजना अधिकारी, शाहपुरा, जयपुर

क्र. सं.	तहसील	मरम्मत योग्य सम्पत्ति का नाम/स्थान का नाम	विवरण	राशि (लाखों में)
1	शाहपुरा	आंगनवाड़ी केन्द्र नायन-1	फर्श, छत, दीवार की मरम्मत	2.50

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.08 13:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

2	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र सेपटपुरा	फर्श, छत, दीवार की मरम्मत	
3	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र करीरी-9	खिडकी, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
4	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र भानीपुरा	खिडकी, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
5	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र शेरपुरा	खिडकी, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
6	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र सकतपुरा	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
7	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र लोचू का बास -2	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
8	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र जोधा की ढाणी	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
9	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र गिरधर नगर	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
10	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र नाथावाला-1	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
11	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र बाडीजोडी-2	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
12	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र खोरी-5	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
13	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र राजपुरा-1	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
14	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र नयाबास-1	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
15	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र जगतपुरा-1	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
16	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र शिवसिंहपुरा-2	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
17	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र मामटोरी खुर्द	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
18	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र हनुतपुरा-1	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
19	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र चक हनुतपुरा	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
20	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र विलान्दरपुर -3	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
21	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र मुरलीपुरा-1	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
22	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र नीझर	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
23	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र जवानपुरा घाबाई	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
24	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र माजीपुरा	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
25	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र हनुतपुरा-2	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
26	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र विलान्दरपुर-7	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
27	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र मारखी	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
28	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र तेजपुरा	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
29	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र करणीसागर	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
30	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र प्रधानो की ढाणी	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
31	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र गोनाकासर	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
32	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र उदावाला-1	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
33	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र हनुतपुरा	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
34	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र खोरालाडखानी-1	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
35	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र खोरालाडखानी-4	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
36	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र सुराणा-2	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
37	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र छारसा-2	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
38	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र राडावास-5	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
39	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र बिदारा-2	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
40	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र राडावास-3	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
41	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र गुलाबवाडी-1	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
42	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र परमानपुरा-2	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.01 12:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

43	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र आमलोदा	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
44	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र म्हार खुर्द-1	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
45	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र शिवसिंहपुरा-1	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
46	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र चक धानोता	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
47	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र जोधपुरा	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
48	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र करीरी-3	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
49	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र करीरी-6	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
50	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र बिलान्दरपुर-6	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
51	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र गोविन्दपुरा-2	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
52	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र अमरसर-1	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
53	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र नायन-3	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
54	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र कल्याणपुरा	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
55	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र हनुतिया	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
56	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र धानोता-4	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
57	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र देवीपुरा-2	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
58	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र साईबाड-2	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
59	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र बिशनगढ-2	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
60	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र सुराणा-2	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
61	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र कुम्भावास	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
62	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र खोरालाडखानी-2	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
63	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र टोडी	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
65	शाहपुरा	आंगनवाडी केन्द्र खोजावाला	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.50
योग				162.50

क्र. सं.	विवरण	मरम्मत कार्य की संख्या	राशि (लाखों में)
1	बाल विकास परियोजना अधिकारी, शाहपुरा (नगर पालिका क्षेत्र मनोहरपुर), जयपुर	6	15.00
2	बाल विकास परियोजना अधिकारी, शाहपुरा (नगर परिषद शाहपुरा), जयपुर	4	10.00
3	बाल विकास परियोजना अधिकारी, शाहपुरा, जयपुर	65	162.50
सर्व योग:-		75	187.50

उक्त राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित बजट मद से किया जावेगा :-

- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
 02 - बाढ़, चक्रवात आदि
 107 - खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
 (02) - बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत
 [01] - [बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत]
 21 - अनुसूचक एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स) प्रतिबद्ध (केन्द्रीय सहायता 75% एवं राज्य निधि 25%)

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
 Designation : Collector & District
 Magistrate
 Date: 2025.10.01 12:32:26 IST
 Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

उपरोक्त मरम्मत कार्य निम्न शर्तों के अधीन शर्तों के अधीन करवाये जावेंगे।

1. उपरोक्त मरम्मत कार्य आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान के प्रशासनिक स्वीकृति आदेश दिनांक 29.09.2025 एवं दिशा-निर्देश क्रमांक RAJKAJ REF NO. 16877134 दिनांक 30.07.2025 में अंकित शर्तों एवं राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तथा इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार करवाये जावेंगे।
2. वे कार्य जो Defect Liability Period के तहत आते हैं उनकी मरम्मत राशि राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से देय नहीं होगी।
3. कार्यकारी अभिकरण की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार अनुमत कार्य ही करवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
4. ये सभी कार्य प्रारम्भ किए जाने की तिथि से 30 दिवस की निर्धारित अवधि में ही पूर्ण कराने होंगे। निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा जारी कोष से मरम्मत कराये जाने संभव नहीं होंगे, कार्यकारी विभाग द्वारा विभागीय बजट से पूर्ण कराये जावेंगे।
5. प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार स्वीकृत करवाये गये कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही करवाया जावेगा, इसका प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।
6. कार्यकारी अभिकरण उक्त कार्यों के तकमीना तथा तकमीना स्वीकृति के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी जारी कर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास राज्य बजट मद अनुरक्षण एवं सामग्री मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि उपलब्ध नहीं है तथा उक्त मद में राशि उपलब्ध होने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से राशि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में राशि अवशेष रहने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद को अवशेष राशि पुनर्गणन कर दी जावेगी।
7. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
8. उक्त राशि का व्यय एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत राजकीय भवनों के लिए ही किया जावे।
9. कार्यकारी अभिकरण बिना वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्यान्वयन नहीं करेंगे, अगर कार्यान्वयन किया जाता है, तो कार्यकारी विभाग के बजट मद से मरम्मत राशि वहन की जावेगी। समयावधि में उपयोग न हो सकने वाली राशि बिना किसी विलम्ब से समर्पित की जावे।
10. उपरोक्त मरम्मत कार्यों के तकमीना/तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी विभाग द्वारा जारी किये जाने के उपरान्त ही इस कार्यालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।
11. उपरोक्त मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावे। इस हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/सहायक अभियन्ता, सा.नि. विभाग, मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की सुनिश्चितता बनाए रखने हेतु समय-समय पर निरीक्षण करें तथा उपखण्ड स्तरीय समिति निर्धारित अवधि में कार्यपूर्णता का निर्धारित पूर्ण प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगी।
12. अंकित कार्यों पर व्यय का अंकेक्षण होने पर अंकेक्षण कराने, आक्षेप अनुपालना पूर्ण कराने की जिम्मेदारी कार्यकारी अभिकरण की होगी।
13. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति में स्वीकृत कार्यों में से यदि मरम्मत कार्य विभागीय बजट मद से पूर्ण करवा लिये गये हैं, तो उन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जावे।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.01 13:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

14. जिन आंगनबाड़ी भवनों को अनुपयोगी/जर्जर, किराये/निजी भवनों में संचालित है, तो उनके लिए स्वीकृत राशि का व्यय नहीं किया जावेगा तथा ऐसे कार्यों की तकनीकी स्वीकृति भी किसी भी स्थिति में जारी नहीं की जावे तथा इस कार्यालय को ऐसे भवनों की सूची पृथक से प्रस्तुत करने का दायित्व कार्यकारी अभिकरण का होगा।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)

जिला कलेक्टर,

जयपुर

दिनांक : 08/10/25

क्रमांक/सम/1436

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा।
4. आयुक्त, नगर परिषद् शाहपुरा जिला जयपुर।
5. तहसीलदार, शाहपुरा।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मनोहरपुर/शाहपुरा।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मनोहरपुर।
8. बाल विकास परियोजना अधिकारी, शाहपुरा।
9. गार्ड फ़ाइल।

जिला कलेक्टर,
जयपुर

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.08 12:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

क्रमांक / सहायता / बाढ़ / मरम्मत / 2025-26 / 1437

दिनांक : 08/10/25

प्रशासनिक स्वीकृति

शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ. 8(37)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/RAJKAJ REF NO. 18048007 दिनांक 29.09.2025 द्वारा जिला जयपुर में मानसून वर्ष 2025 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त आंगनवाड़ी भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरुत्थान हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 120/2025-26 प्रदान की गई है, के अनुसरण में बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, रामपुरा डाबडी/जालसू के प्रस्तावित मरम्मत कार्यों की उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अभिशंभा अनुसार नीचे अंकित मरम्मत कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। विवरण इस प्रकार है :-

कार्यकारी अभिकरण : विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जालसू
बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, रामपुरा डाबडी/जालसू, जयपुर

क्र. सं.	तहसील	मरम्मत योग्य सम्पत्ति का नाम/स्थान का नाम	विवरण	राशि (लाखों में)
1	रामपुरा डाबडी	आंगनवाड़ी केन्द्र भुरथल 2	छत	2.00
2	रामपुरा डाबडी	आंगनवाड़ी केन्द्र रिसाणी 1	छत एवं सीलन	2.00
3	रामपुरा डाबडी	आंगनवाड़ी केन्द्र सेवापुरा	छत	2.00
4	रामपुरा डाबडी	आंगनवाड़ी केन्द्र किशनपुरा	छत, दीवार, फर्श, दरवाजा, खिड़की	2.00
5	जालसू	आंगनवाड़ी केन्द्र लालगढ़	छत	2.00
6	जालसू	आंगनवाड़ी केन्द्र सुदर्शनपुरा	छत, खिड़की	2.00
7	जालसू	आंगनवाड़ी केन्द्र रायथल 2	छत, सीलन	2.00
8	जालसू	आंगनवाड़ी केन्द्र सिरसली 3	छत, खिड़की	2.00
9	जालसू	आंगनवाड़ी केन्द्र अनोपपुरा	छत, खिड़की	2.00
10	जालसू	आंगनवाड़ी केन्द्र खातियो का बास	छत, खिड़की, दरवाजा	2.00
11	रामपुरा डाबडी	आंगनवाड़ी केन्द्र खोराश्यामदास-2	छत	2.00
12	रामपुरा डाबडी	आंगनवाड़ी केन्द्र बदनपुरा	छत	2.00
13	रामपुरा डाबडी	आंगनवाड़ी केन्द्र नांगल पुरोहितान-4	सीलन	2.00
14	रामपुरा डाबडी	आंगनवाड़ी केन्द्र जगन्नाथपुरा	सीलन	2.00
15	रामपुरा डाबडी	आंगनवाड़ी केन्द्र मोदू का बास	सीलन	2.00
16	रामपुरा डाबडी	आंगनवाड़ी केन्द्र छुवर का बास	सीलन	2.00
17	जालसू	आंगनवाड़ी केन्द्र मुकुन्दपुरा	छत	2.00
18	जालसू	आंगनवाड़ी केन्द्र रैगरों की डाणी	सीलन	2.00
19	जालसू	आंगनवाड़ी केन्द्र कल्याणपुरा	छत	2.00
20	जालसू	आंगनवाड़ी केन्द्र मुडिया	छत	2.00
21	रामपुरा डाबडी	आंगनवाड़ी केन्द्र जाहोता-III	छत	2.00
22	रामपुरा डाबडी	आंगनवाड़ी केन्द्र जाहोता-4	सीलन	2.00

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.08 13:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
www.jalpur.nic.in

24	रामपुरा डाबडी	आंगनवाडी केन्द्र जाहोता-5	छत	
25	रामपुरा डाबडी	आंगनवाडी केन्द्र भट्टो की गली	छत	2.00
26	रामपुरा डाबडी	आंगनवाडी केन्द्र भुरावाली	सीलन छत	2.00
27	रामपुरा डाबडी	आंगनवाडी केन्द्र रामपुरा-1	सीलन	2.00
28	रामपुरा डाबडी	आंगनवाडी केन्द्र आकेडा चोड-1	सीलन	2.00
29	रामपुरा डाबडी	आंगनवाडी केन्द्र आकेडा चोड-11	छत	2.00
30	रामपुरा डाबडी	आंगनवाडी केन्द्र चिमनपुरा	छत	2.00
31	रामपुरा डाबडी	आंगनवाडी केन्द्र भूरधल-111	छत	2.00
32	रामपुरा डाबडी	आंगनवाडी केन्द्र रिसाणी-11	सीलन छत	2.00
33	रामपुरा डाबडी	आंगनवाडी केन्द्र जयरामपुरा-1	दीवार, छत	2.00
34	रामपुरा डाबडी	आंगनवाडी केन्द्र जयरामपुरा-3	छत	2.00
35	रामपुरा डाबडी	आंगनवाडी केन्द्र नांगल सिरस	छत, दीवार, फर्श	2.00
36	रामपुरा डाबडी	आंगनवाडी केन्द्र मोहनवाडी	दीवार, छत, फर्श, खिडकी	2.00
37	रामपुरा डाबडी	आंगनवाडी केन्द्र गोविन्दपुरा-1	दीवार, छत	2.00
38	रामपुरा डाबडी	आंगनवाडी केन्द्र गोविन्दपुरा-2	दीवार, छत, फर्श, खिडकी, दरवाजा	2.00
39	रामपुरा डाबडी	आंगनवाडी केन्द्र उदयपुरिया-2	दीवार, छत, फर्श, खिडकी, दरवाजा	2.00
40	रामपुरा डाबडी	आंगनवाडी केन्द्र खोरा बीसल-3	छत	2.00
41	रामपुरा डाबडी	आंगनवाडी केन्द्र हरदत्तपुरा	छत	2.00
42	जालसू	आंगनवाडी केन्द्र रोजदा-1	छत, दीवार, फर्श, दरवाजा, खिडकी	2.00
43	जालसू	आंगनवाडी केन्द्र सरदारपुरा	छत, दीवार, फर्श, दरवाजा, खिडकी	2.00
44	जालसू	आंगनवाडी केन्द्र जैतपुरा	छत	2.00
45	रामपुरा डाबडी	आंगनवाडी केन्द्र चतरपुरा-1	छत	2.00
46	जालसू	आंगनवाडी केन्द्र बिचपडी	छत	2.00
47	जालसू	आंगनवाडी केन्द्र नांगल लाडी-1	छत	2.00
48	जालसू	आंगनवाडी केन्द्र चन्द्रपुरा जाटान	छत	2.00
49	जालसू	आंगनवाडी केन्द्र सिरस	छत	2.00
50	जालसू	आंगनवाडी केन्द्र यादवखेडा-	छत	2.00
51	जालसू	आंगनवाडी केन्द्र श्रीपुरा-1	दरवाजा, सीलन, छत	2.00
52	जालसू	आंगनवाडी केन्द्र रघुनाथपुरा-1	छत	2.00
53	जालसू	आंगनवाडी केन्द्र रघुनाथपुरा-2	छत	2.00
54	जालसू	आंगनवाडी केन्द्र चकरोजदा	छत	2.00
55	जालसू	आंगनवाडी केन्द्र जलोइ	छत	2.00
56	जालसू	आंगनवाडी केन्द्र मुण्डोता-2	छत	2.00
57	जालसू	आंगनवाडी केन्द्र मुण्डोता-3	छत	2.00
58	जालसू	आंगनवाडी केन्द्र शीरावतपुरा-2	छत	2.00
59	जालसू	आंगनवाडी केन्द्र बल्लुपुरा	छत	2.00
60	जालसू	आंगनवाडी केन्द्र सिरसली-1	दीवार, फर्श	2.00
61	जालसू	आंगनवाडी केन्द्र सिरसली-2	दीवार, फर्श	2.00
62	जालसू	आंगनवाडी केन्द्र प्रागपुरा	छत	2.00
63	जालसू	आंगनवाडी केन्द्र अनोपपुरा-1	खिडकी	2.00
64	जालसू	आंगनवाडी केन्द्र भीलपुरा	छत, दीवार	2.00

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.01 17:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एयम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
www.jalpur.nic.in

64	जालरू	आंगनवाडी केन्द्र डीरा	खिडकी	2.00
65	जालरू	आंगनवाडी केन्द्र साहिबरागपुरा	छत, दीवार, फर्श	2.00
66	जालरू	आंगनवाडी केन्द्र बायडी देवगुड़ा	दरवाजा, खिडकी	2.00
67	जालरू	आंगनवाडी केन्द्र मोडी	खिडकी	2.00
68	जालरू	आंगनवाडी केन्द्र बिहारीपुरा 2	छत	2.00
69	जालरू	आंगनवाडी केन्द्र अटलबिहारीपुरा	छत	2.00
70	जालरू	आंगनवाडी केन्द्र नाडा	छत, फर्श	2.00
71	जालरू	आंगनवाडी केन्द्र रामगटा	दीवार, खिडकी, छत	2.00
72	जालरू	आंगनवाडी केन्द्र मुकुंदपुरा	छत, दीवार	2.00
73	जालरू	आंगनवाडी केन्द्र कंवरपुरा	छत, दीवार	2.00
योग				146.00

उक्त राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित बजट मद से किया जावेगा :-

2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02 - बाढ़, चक्रवात आदि

107 - खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना

(02) - बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत

[01] - [बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत]

21 - अनुसूचण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स) प्रतिबद्ध (केन्द्रीय सहायता 75% एवं राज्य निधि 25%)

उपरोक्त मरम्मत कार्य निम्न शर्तों के अधीन शर्तों के अधीन करवाये जावेंगे।

1. उपरोक्त मरम्मत कार्य आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान के प्रशासनिक स्वीकृति आदेश दिनांक 29.09.2025 एवं दिशा-निर्देश क्रमांक RAJKAJ REF NO. 16877134 दिनांक 30.07.2025 में अंकित शर्तों एवं राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तथा इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार करवाये जावेंगे।
2. वे कार्य जो Defect Liability Period के तहत आते हैं उनकी मरम्मत राशि राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से देय नहीं होगी।
3. कार्यकारी अभिकरण की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार अनुमत कार्य ही करवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
4. ये सभी कार्य प्रारम्भ किए जाने की तिथि से 30 दिवस की निर्धारित अवधि में ही पूर्ण कराने होंगे। निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा जारी कोष से मरम्मत कराये जाने संभव नहीं होंगे, कार्यकारी विभाग द्वारा विभागीय बजट से पूर्ण कराये जावेंगे।
5. प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार स्वीकृत करवाये गये कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही करवाया जावेंगा, इसका प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।
6. कार्यकारी अभिकरण उक्त कार्यों के तकमीना तथा तकमीना स्वीकृति के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी जारी कर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास राज्य बजट मद अनुसूचण एवं सामग्री मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि उपलब्ध नहीं है तथा उक्त मद में राशि उपलब्ध होने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से राशि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में राशि अवशेष रहने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद को अवशेष राशि पुनर्भरण कर दी जावेगी।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitesh Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.01 12:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

7. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
8. उक्त राशि का व्यय एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत राजकीय भवनों के लिए ही किया जावे।
9. कार्यकारी अभिकरण बिना वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्यारम्भ नहीं करेंगे, अगर कार्यारम्भ किया जाता है, तो कार्यकारी विभाग के बजट मद से मरम्मत राशि वहन की जावेगी। समयावधि में उपयोग न हो सकने वाली राशि बिना किसी विलम्ब से समर्पित की जावे।
10. उपरोक्त मरम्मत कार्यों के तकमीना/तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी विभाग द्वारा जारी किये जाने के उपरान्त ही इस कार्यालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।
11. उपरोक्त मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावे। इस हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/सहायक अभियन्ता, सा.नि. विभाग, मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की सुनिश्चितता बनाए रखने हेतु समय-समय पर निरीक्षण करें तथा उपखण्ड स्तरीय समिति निर्धारित अवधि में कार्यपूर्णता का निर्धारित पूर्ण प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगी।
12. अंकित कार्यों पर व्यय का अंकेक्षण होने पर अंकेक्षण कराने, आक्षेप अनुपालना पूर्ण कराने की जिम्मेदारी कार्यकारी अभिकरण की होगी।
13. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति में स्वीकृत कार्यों में से यदि मरम्मत कार्य विभागीय बजट मद से पूर्ण करवा लिये गये हैं, तो उन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जावे।
14. जिन आंगनबाड़ी भवनों को अनुपयोगी/जर्जर, किराये/निजी भवनों में संचालित है, तो उनके लिए स्वीकृत राशि का व्यय नहीं किया जावेगा तथा ऐसे कार्यों की तकनीकी स्वीकृति भी किसी भी स्थिति में जारी नहीं की जावे तथा इस कार्यालय को ऐसे भवनों की सूची पृथक से प्रस्तुत करने का दायित्व कार्यकारी अभिकरण का होगा।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)

जिला कलेक्टर,

जयपुर

दिनांक : 08/10/25

क्रमांक/सम/1438

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी, रामपुरा डाबडी।
4. तहसीलदार, रामपुरा डाबडी/जालसू।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जालसू।
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, रामपुरा डाबडी/जालसू, जयपुर
7. गार्ड फ़ाइल।

जिला कलेक्टर,

जयपुर

Validity unknown Signature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.08 12:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

क्रमांक / सहायता / बाढ़ / मरम्मत / 2025-26 / 1439

दिनांक : 08/10/25

प्रशासनिक स्वीकृति

शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ. 8(37)आ.प्र. एवं सहा. / बाढ़ / प्रस्ताव / 2025 / RAJKAJ REF NO. 18048007 दिनांक 29.09.2025 द्वारा जिला जयपुर में मानसून वर्ष 2025 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त आंगनवाड़ी भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरुत्थान हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 120/2025-26 प्रदान की गई है, के अनुसरण में बाल विकास परियोजना अधिकारी, आमेर के प्रस्तावित मरम्मत कार्यों की उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अभिशंषा अनुसार नीचे अंकित मरम्मत कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। विवरण इस प्रकार है :-

कार्यकारी अभिकरण : विकास अधिकारी, पंचायत समिति, आमेर
बाल विकास परियोजना अधिकारी, आमेर, जयपुर

क्र. सं.	तहसील	मरम्मत योग्य सम्पत्ति का नाम / स्थान का नाम	विवरण	राशि (लाखों में)
1	आमेर	आंगनवाड़ी केन्द्र जुगलपुरा	खिडकी, फर्श, छत की मरम्मत	2.00
2	आमेर	आंगनवाड़ी केन्द्र रुण्डल-1	फर्श, छत, दीवार की मरम्मत	2.00
3	आमेर	आंगनवाड़ी केन्द्र रुण्डल-2	फर्श, छत, दीवार की मरम्मत	2.00
4	आमेर	आंगनवाड़ी केन्द्र नांगल सुसावतान-1	खिडकी, फर्श, छत की मरम्मत	2.00
5	आमेर	आंगनवाड़ी केन्द्र नांगल सुसावतान-2	खिडकी, फर्श, छत की मरम्मत	2.00
6	आमेर	आंगनवाड़ी केन्द्र लालवास	खिडकी, फर्श, छत की मरम्मत	2.00
7	आमेर	आंगनवाड़ी केन्द्र मुवालों की ढाणी	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.00
8	आमेर	आंगनवाड़ी केन्द्र राजपुरावास	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.00
9	आमेर	आंगनवाड़ी केन्द्र जयसिंहनगर	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.00
10	आमेर	आंगनवाड़ी केन्द्र छान्दोलाई की ढाणी	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.00
11	आमेर	आंगनवाड़ी केन्द्र बाढ़ की ढाणी	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.00
12	आमेर	आंगनवाड़ी केन्द्र चिताणु-1	खिडकी, दरवाजे, फर्श, छत की मरम्मत	2.00
13	आमेर	आंगनवाड़ी केन्द्र चिताणु-2	छत, दीवार की मरम्मत	2.00
14	आमेर	आंगनवाड़ी केन्द्र चिताणु-3	छत, दीवार की मरम्मत	2.00
15	आमेर	आंगनवाड़ी केन्द्र लखेर-1	खिडकी, दरवाजे, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
16	आमेर	आंगनवाड़ी केन्द्र लखेर-3	खिडकी, दरवाजे, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
17	आमेर	आंगनवाड़ी केन्द्र ईशरावाला 1	खिडकी, दरवाजे, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
18	आमेर	आंगनवाड़ी केन्द्र ईशरावाला 2	खिडकी, दरवाजे, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
19	आमेर	आंगनवाड़ी केन्द्र कंवरपुरा 2	खिडकी, दरवाजे, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
20	आमेर	आंगनवाड़ी केन्द्र देवकाहरमाडा 1	खिडकी, दरवाजे, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
21	आमेर	आंगनवाड़ी केन्द्र लखेर 2	खिडकी, दरवाजे, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
22	आमेर	आंगनवाड़ी केन्द्र पीलवा 1	दीवार, छत की मरम्मत	2.00

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.08 13:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
www.jalpur.nic.in

25	आर्केर	आगनबाड़ी केन्द्र सालडवार	दीवार, छत की मरम्मत	
26	आर्केर	आगनबाड़ी केन्द्र दोलतपुरा 1	खिडकी, दरवाजे, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
27	आर्केर	आगनबाड़ी केन्द्र दोलतपुरा 2	खिडकी, दरवाजे, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
28	आर्केर	आगनबाड़ी केन्द्र कालवाड-1	खिडकी, दरवाजे, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
29	आर्केर	आगनबाड़ी केन्द्र सीतापुरा	खिडकी, दरवाजे, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
30	आर्केर	आगनबाड़ी केन्द्र डण्ड-3	दीवार, छत की मरम्मत	2.00
31	आर्केर	आगनबाड़ी केन्द्र खोरामीणा-2	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
			योग	58.00

उक्त राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित बजट मद से किया जावेगा :-

- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
02 - बाढ़, चक्रवात आदि
107 - उच्च सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
(02) - बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत
[01] - [बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत]
21 - अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स) प्रतिबद्ध (केन्द्रीय सहायता 75% एवं राज्य निधि 25%)

उपरोक्त मरम्मत कार्य निम्न शर्तों के अधीन शर्तों के अधीन करवाये जावेंगे।

- उपरोक्त मरम्मत कार्य आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान के प्रशासनिक स्वीकृति आदेश दिनांक 29.09.2025 एवं दिशा-निर्देश क्रमांक RAJKAJ REF NO. 16877134 दिनांक 30.07.2025 में अंकित शर्तों एवं राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तथा इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार करवाये जावेंगे।
- वे कार्य जो Defect Liability Period के तहत आते हैं उनकी मरम्मत राशि राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से देय नहीं होगी।
- कार्यकारी अभिकरण की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार अनुमत कार्य ही करवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
- ये सभी कार्य प्रारम्भ किए जाने की तिथि से 30 दिवस की निर्धारित अवधि में ही पूर्ण कराने होंगे। निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा जारी कोप से मरम्मत कराये जाने संभव नहीं होंगे, कार्यकारी विभाग द्वारा विभागीय बजट से पूर्ण कराये जावेंगे।
- प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार स्वीकृत करवाये गये कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही करवाया जावेगा, इसका प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।
- कार्यकारी अभिकरण उक्त कार्यों के तकमीना तथा तकमीना स्वीकृति के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी जारी कर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास राज्य बजट मद अनुरक्षण एवं सामग्री मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि उपलब्ध नहीं है तथा उक्त मद में राशि उपलब्ध होने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से राशि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में राशि अशेष रहने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद को अवशेष राशि पुनर्भरण कर दी जावेगी।
- स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
- उक्त राशि का व्यय एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत राजकीय भवनों के लिए ही किया जावे।

Validity unknown Signature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.04 13:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

9. कार्यकारी अभिकरण बिना वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्यारम्भ नहीं करेंगे, अगर कार्यारम्भ किया जाता है, तो कार्यकारी विभाग के बजट मद से मरम्मत राशि वहन की जावेगी। समयावधि में उपयोग न हो सकने वाली राशि बिना किसी विलम्ब से समर्पित की जावे।
10. उपरोक्त मरम्मत कार्यों के तकमीना/तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी विभाग द्वारा जारी किये जाने के उपरान्त ही इस कार्यालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।
11. उपरोक्त मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावे। इस हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/सहायक अभियन्ता, सा.नि. विभाग, मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की सुनिश्चितता बनाए रखने हेतु समय-समय पर निरीक्षण करें तथा उपखण्ड स्तरीय समिति निर्धारित अवधि में कार्यपूर्णता का निर्धारित पूर्ण प्रमाण पत्र प्रेषित करेगी।
12. अंकित कार्यों पर व्यय का अंकेक्षण होने पर अंकेक्षण कराने, आक्षेप अनुपालना पूर्ण कराने की जिम्मेदारी कार्यकारी अभिकरण की होगी।
13. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति में स्वीकृत कार्यों में से यदि मरम्मत कार्य विभागीय बजट मद से पूर्ण करवा लिये गये हैं, तो उन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जावे।
14. जिन आंगनबाड़ी भवनों को अनुपयोगी/जर्जर, किराये/निजी भवनों में संचालित है, तो उनके लिए स्वीकृत राशि का व्यय नहीं किया जावेगा तथा ऐसे कार्यों की तकनीकी स्वीकृति भी किसी भी स्थिति में जारी नहीं की जावे तथा इस कार्यालय को ऐसे भवनों की सूची पृथक से प्रस्तुत करने का दायित्व कार्यकारी अभिकरण का होगा।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)

जिला कलेक्टर,

जयपुर

दिनांक : 08/10/25

क्रमांक/सम/1440

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी, आमेर।
4. तहसीलदार, आमेर।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, आमेर।
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, आमेर।
7. गार्ड पत्रावली।

जिला कलेक्टर,

जयपुर

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.08 12:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
www.jaipur.nic.in

क्रमांक/सहायता/बाढ़/मरम्मत/2025-26/1451

दिनांक : 08/10/25

प्रशासनिक स्वीकृति

शासन उप सचिव, आपदा प्रवन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ. 8(37)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/RAJKAJ REF NO. 18048007 दिनांक 29.09.2025 द्वारा जिला जयपुर में मानसून वर्ष 2025 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त आंगनवाड़ी भवनों की तात्कालिक अस्थायी मरम्मत एवं पुनरुत्थान हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 120/2025-26 प्रदान की गई है, के अनुसरण में बाल विकास परियोजना अधिकारी, बस्सी व तूंगा के प्रस्तावित मरम्मत कार्यों की उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अभिशंषा अनुसार नीचे अंकित मरम्मत कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। विवरण इस प्रकार है:-

कार्यकारी अभिकरण : विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बस्सी
बाल विकास परियोजना अधिकारी, बस्सी, जयपुर

क्र. सं.	तहसील	मरम्मत योग्य सम्पत्ति का नाम/स्थान का नाम	विवरण	राशि (लाखों में)
1	बस्सी	पडासौली	दीवार, सीलन	2.00
2	बस्सी	हंसमहल	छत एवं सीलन	2.00
3	बस्सी	दयालपुरा	छत एवं दीवार	2.00
4	बस्सी	खोरी 02	छत	2.00
5	बस्सी	दुधली	छत	2.00
6	बस्सी	मनोहरपुरा	छत	2.00
7	बस्सी	देवापुरा	छत	2.00
8	बस्सी	झर 04	छत, सीलन	2.00
9	बस्सी	झर 05	छत, फर्श	2.00
10	बस्सी	बस्सी 13	छत, सीलन	2.00
11	बस्सी	महाराजपुरा	छत, सीलन	2.00
			योग	22.00

कार्यकारी अभिकरण : विकास अधिकारी, पंचायत समिति, तूंगा
बाल विकास परियोजना अधिकारी, तूंगा, जयपुर

क्र. सं.	तहसील	मरम्मत योग्य सम्पत्ति का नाम/स्थान का नाम	विवरण	राशि (लाखों में)
1	तूंगा	केशुपुरा	छत / दीवारें	2.00

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.08 12:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
www.jaipur.nic.in

2	तुंगा	दनाउ कला	छत / दीवारें	2.00
3	तुंगा	कानपुरिया	छत / दीवारें	2.00
4	तुंगा	बिहारीपुरा	छत / दीवारें	2.00
5	तुंगा	गडोली	छत / दीवारें	2.00
6	तुंगा	माधोगढ 1	छत / दीवारें	2.00
7	तुंगा	डुबली	छत / दीवारें	2.00
8	तुंगा	गुमानपुरा	छत / दीवारें	2.00
9	तुंगा	पालावाला जाटान 1	छत / दीवारें	2.00
10	तुंगा	अचलपुरा	छत / दीवारें	2.00
11	तुंगा	देवगांव	छत / दीवारें	2.00
12	तुंगा	विमलपुरा	छत / दीवारें	2.00
13	तुंगा	रामसिंहपुरा	छत / दीवारें	2.00
14	तुंगा	किशनपुरा	छत / दीवारें	2.00
15	तुंगा	सांभरिया 04	छत / दीवारें	2.00
16	तुंगा	सांभरिया 03	छत / दीवारें	2.00
17	तुंगा	भूडला	छत / दीवारें	2.00
18	तुंगा	भटेरी	छत / दीवारें	2.00
19	तुंगा	ग्वालिनी	छत / दीवारें	2.00
20	तुंगा	माधोगढ 02	छत / दीवारें	2.00
			योग	40.00

गोश्वारा

क्र. सं.	विवरण	मरम्मत कार्यो की संख्या	राशि (लाखों में)
1	बाल विकास परियोजना अधिकारी, बस्ती, जयपुर	11	22.00
2	बाल विकास परियोजना अधिकारी, तुंगा, जयपुर	20	40.00
	सर्व योग:-	31	62.00

उक्त राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित बजट मद से किया जावेगा :-

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.01 12:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02 - बाढ़, घटकाव आदि

107 - खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना

(02) - बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत

[01] - [बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत]

21 - अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स) प्रतिबद्ध (केन्द्रीय सहायता 75% एवं राज्य निधि 25%)

उपरोक्त मरम्मत कार्य निम्न शर्तों के अधीन शर्तों के अधीन करवाये जावेंगे।

1. उपरोक्त मरम्मत कार्य आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान के प्रशासनिक स्वीकृति आदेश दिनांक 29.09.2025 एवं दिशा-निर्देश क्रमांक RAJKAJ REF NO. 16877134 दिनांक 30.07.2025 में अंकित शर्तों एवं राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तथा इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार करवाये जावेंगे।
2. वे कार्य जो Defect Liability Period के तहत आते हैं उनकी मरम्मत राशि राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से देय नहीं होगी।
3. कार्यकारी अभिकरण की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ मानदण्डों के अनुसार अनुमत कार्य ही करवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
4. ये सभी कार्य प्रारम्भ किए जाने की तिथि से 30 दिवस की निर्धारित अवधि में ही पूर्ण कराने होंगे। निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा जारी कोष से मरम्मत कराये जाने संभव नहीं होंगे, कार्यकारी विभाग द्वारा विभागीय बजट से पूर्ण कराये जावेंगे।
5. प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार स्वीकृत करवाये गये कार्य एसडीआरएफ मानदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही करवाया जावेंगे, इसका प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।
6. कार्यकारी अभिकरण उक्त कार्यों के तकमीना तथा तकमीना स्वीकृति के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी जारी कर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास राज्य बजट मद अनुस्वण एवं सामग्री मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि उपलब्ध नहीं है तथा उक्त मद में राशि उपलब्ध होने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से राशि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में राशि अवशेष रहने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद को अवशेष राशि पुनर्निरण कर दी जावेगी।
7. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
8. उक्त राशि का व्यय एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत राजकीय भवनों के लिए ही किया जावे।
9. कार्यकारी अभिकरण बिना वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्यान्वयन नहीं करेंगे, अगर कार्यान्वयन किया जाता है, तो कार्यकारी विभाग के बजट मद से मरम्मत राशि वहन की जावेगी। समयवधि में उपयोग न हो सकने वाली राशि बिना किसी विलम्ब से समर्पित की जावे।
10. उपरोक्त मरम्मत कार्यों के तकमीना/तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी विभाग द्वारा जारी किये जाने के उपरान्त ही इस कार्यालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।
11. उपरोक्त मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावे। इस हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/सहायक अभियन्ता, सा.नि. विभाग, मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की सुनिश्चितता बनाए रखने हेतु

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.01 12:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
www.jaipur.nic.in

समय-समय पर निरीक्षण करें तथा उपखण्ड स्तरीय समिति निर्धारित अवधि में कार्यपूर्णता का निर्धारित पूर्ण प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगी।

12. अंकित कार्यों पर व्यय का अंकेक्षण होने पर अंकेक्षण कराने, आक्षेप अनुपालना पूर्ण कराने की जिम्मेदारी कार्यकारी अभिकरण की होगी।
13. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति में स्वीकृत कार्यों में से यदि मरम्मत कार्य विभागीय बजट मद से पूर्ण करवा लिये गये हैं, तो उन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जावे।
14. जिन आंगनबाड़ी भवनों को अनुपयोगी/जर्जर, किराये/निजी भवनों में संचालित है, तो उनके लिए स्वीकृत राशि का व्यय नहीं किया जावेगा तथा ऐसे कार्यों की तकनीकी स्वीकृति भी किसी भी स्थिति में जारी नहीं की जावे तथा इस कार्यालय को ऐसे भवनों की सूची पृथक से प्रस्तुत करने का दायित्व कार्यकारी अभिकरण का होगा।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलेक्टर,

जयपुर

दिनांक : 06/10/25

क्रमांक/सम/ 1442

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी, बस्सी।
4. तहसीलदार, बस्सी/तूंगा।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बस्सी/तूंगा।
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, बस्सी/तूंगा।
7. गार्ड पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
जयपुर

Validity unknown Signature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.06 12:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

क्रमांक / सहायता / बाढ़ / मरम्मत / 2025-26 / 1443

दिनांक : 08/10/25

प्रशासनिक स्वीकृति

शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ. 8(37)आ.प्र. एवं सहा. / बाढ़ / प्रस्ताव / 2025 / RAJKAJ REF NO. 18048007 दिनांक 29.09.2025 द्वारा जिला जयपुर में मानसून वर्ष 2025 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त आंगनवाड़ी भवनों की तात्कालिक अस्थायी मरम्मत एवं पुनरुत्थान हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 120 / 2025-26 प्रदान की गई है, के अनुसरण में बाल विकास परियोजना अधिकारी, झोटवाड़ा, जयपुर प्रथम, जयपुर द्वितीय एवं जयपुर तृतीय के प्रस्तावित मरम्मत कार्यों की उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अभिशंका अनुसार नीचे अंकित मरम्मत कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। विवरण इस प्रकार है :-

कार्यकारी अभिकरण : विकास अधिकारी, पंचायत समिति, झोटवाड़ा
बाल विकास परियोजना अधिकारी, झोटवाड़ा, जयपुर

क्र. सं.	तहसील	मरम्मत योग्य सम्पत्ति का नाम / स्थान का नाम	विवरण	राशि (लाखों में)
1	झोटवाड़ा	आंगनवाड़ी केन्द्र धानक्या-1	फर्श, छत, दीवार की मरम्मत	2.00
2	झोटवाड़ा	आंगनवाड़ी केन्द्र धानक्या-2	छत एवं दीवार की मरम्मत	2.00
3	झोटवाड़ा	आंगनवाड़ी केन्द्र बाढ़ फतेहपुरा	छत, खिड़की, दरवाजा एवं दीवार की मरम्मत	2.00
4	झोटवाड़ा	आंगनवाड़ी केन्द्र बावडी-1	छत एवं दीवार की मरम्मत	2.00
5	झोटवाड़ा	आंगनवाड़ी केन्द्र निवारु-1	सीलन व गद्दा की मरम्मत	2.00
6	झोटवाड़ा	आंगनवाड़ी केन्द्र निवारु-2	छत, सीलन पानी का भराव आदि की मरम्मत	2.00
7	झोटवाड़ा	आंगनवाड़ी केन्द्र गणेश वाटिका	छत, दीवार की मरम्मत	2.00
8	झोटवाड़ा	आंगनवाड़ी केन्द्र माचवा-1	छत, दीवार सीलन आदि की मरम्मत	2.00
9	झोटवाड़ा	आंगनवाड़ी केन्द्र माचवा-2	छत, सीलन	2.00
10	झोटवाड़ा	आंगनवाड़ी केन्द्र माचवा-3	छत, दीवार सीलन आदि की मरम्मत	2.00
योग				20.00

कार्यकारी अभिकरण : विकास अधिकारी, पंचायत समिति, झोटवाड़ा
बाल विकास परियोजना अधिकारी, जयपुर प्रथम

क्र. सं.	तहसील	मरम्मत योग्य सम्पत्ति का नाम / स्थान का नाम	विवरण	राशि (लाखों में)
1	जयपुर प्रथम	गोविंदपुरा प्रथम	छत फर्श दीवारें खिड़कियां दरवाजे	2.00
2	जयपुर प्रथम	हरनाथपुरा प्रथम	छत फर्श दीवारें खिड़कियां दरवाजे और शौचालय में छत की आवश्यकता है	2.00
3	जयपुर प्रथम	भूताली 2	छत फर्श दीवारें खिड़कियां दरवाजे	2.00

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitesh Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.08 13:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
www.jaipur.nic.in

4	जयपुर प्रथम	शिवाड 2	छत फर्श दीवारें खिडकियां दरवाजे	2.00
5	जयपुर प्रथम	गोकुलपुरा 1	छत फर्श दीवारें खिडकियां दरवाजे	2.00
6	जयपुर प्रथम	नया जालपुरा	छत फर्श दीवारें खिडकियां दरवाजे	2.00
7	जयपुर प्रथम	लंकामुरी	छत फर्श दीवारें खिडकियां दरवाजे	2.00
8	जयपुर प्रथम	नाला अमानीशाह हरीजन बस्ती	छत फर्श दीवारें खिडकियां दरवाजे	2.00
9	जयपुर प्रथम	मुरलीपुरा 4	छत फर्श दीवारें खिडकियां दरवाजे	2.00
10	जयपुर प्रथम	बुनकर मोहल्ला बडारना	छत फर्श दीवारें खिडकियां दरवाजे	2.00
11	जयपुर प्रथम	बुनकर मोहल्ला हरमाडा	छत और दिवार में से पानी आता है, खिडकियां दरवाजे	2.00
12	जयपुर प्रथम	जे.डी.ए कॉलोनी बिन्दायिका	छत और दिवार में से पानी आता है, फर्श खिडकियां दरवाजे की मरम्मत आवश्यक है	2.00
13	जयपुर प्रथम	गोकुलपुरा 2	छत और दिवार में से पानी आता है, फर्श खिडकियां दरवाजे की मरम्मत आवश्यक है	2.00
14	जयपुर प्रथम	सिरसी 1	छत और दिवार में से पानी आता है, फर्श खिडकियां दरवाजे की मरम्मत आवश्यक है	2.00
योग				28.00

कार्यकारी अभिकरण : विकास अधिकारी, पंचायत समिति, झोटवाडा
बाल विकास परियोजना अधिकारी, जयपुर शहर द्वितीय

क्र. सं.	तहसील	मरम्मत योग्य सम्पत्ति का नाम/स्थान का नाम	विवरण	राशि (लाखों में)
1	जयपुर	वन विहार हाउस बोर्ड रा उ मा वन विहार जयपुर	छत फर्श दीवारें खिडकियां दरवाजे	2.00
2	जयपुर	ईदगाह रा उ मा गालव नगर जयपुर	दीवारें खिडकियां दरवाजे	2.00
3	जयपुर	खलीफो की बगीची रा उ मा खलीफो की बगीची जयपुर	दीवारें खिडकियां दरवाजे	2.00
4	जयपुर	बावडी 1 रा उ मा बावडी जामडोली जयपुर	दीवारें खिडकियां दरवाजे	2.00
5	जयपुर	जामडोली 1 रा उ मा बावडी जामडोली जयपुर	छत दीवारें खिडकियां दरवाजे	2.50
6	जयपुर	टीला न 5 रा प्रा वि टीला न 5 जयपुर	छत फर्श दीवारें खिडकियां दरवाजे	2.50
7	जयपुर	टीला न 4 रा प्रा वि टीला न 4 जयपुर	छत फर्श दीवारें खिडकियां दरवाजे	2.50
8	जयपुर	गौतम नगर 3 रा उ मा बजाज नगर जयपुर	छत फर्श दीवारें खिडकियां दरवाजे	2.50
9	जयपुर	ठीकरिया बस्ती रा प्रा वि ठीकरिया बस्ती जयपुर	छत दीवार	2.50
10	जयपुर	रेगरो की कोठी 2 रा उ मा रामगंज जयपुर	छत दीवार	2.50
11	जयपुर	गौतम नगर 1 रा प्रा वि बजाज नगर जयपुर	छत दीवार	2.50
12	जयपुर	पुलिया न 2 रा प्रा वि जवाहर नगर पुलिया न 2 जयपुर	छत दीवार	2.50
13	जयपुर	अमरनाथ की बगीची रा प्रा वि जनता कॉलोनी जयपुर	छत दीवार	2.50
14	जयपुर	गणेशपुरी कच्ची बस्ती रा प्रा गालव नगर गलत गेट जयपुर	छत	2.50
15	जयपुर	ज्योति नगर 02 रा बा उ प्रा विद्यलय अक्वपुरी जयपुर	छत दीवार	2.50
योग				35.50

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.07 17:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
www.jalpur.nic.in

कार्यालयी अभिकरण : विकास अधिकारी, पंचायत समिति, झोटवाडा
बाल विकास परियोजना अधिकारी, जयपुर शहर तृतीय

क्र. सं.	तहसील	मरम्मत योग्य सम्पत्ति का नाम/स्थान का नाम	विवरण	राशि (लाखों में)
1	जयपुर शहर-3	हरिजन बस्ती, जयसिंहपुरा खोर	छत एवं दीवारों में सीलन	2.50
2	जयपुर शहर-3	मानपुरा सड़का-1	छत एवं दीवारों में सीलन	2.50
3	जयपुर शहर-3	शिव कुण्डा	छत एवं दीवारों में सीलन	2.50
4	जयपुर शहर-3	नाहरगढ़-3	छत एवं दीवारों क्षतिग्रस्त	2.50
5	जयपुर शहर-3	तेलीपाडा-2	छत एवं दीवारों क्षतिग्रस्त	2.50
6	जयपुर शहर-3	चीनी की बुर्ज	छत एवं दीवारों क्षतिग्रस्त	2.50
7	जयपुर शहर-3	मेहरा बस्ती-2	छत एवं दीवारों क्षतिग्रस्त	2.50
8	जयपुर शहर-3	तोपखाना-1	छत एवं दीवारों क्षतिग्रस्त	2.50
9	जयपुर शहर-3	शंकर नगर	छत एवं दीवारों क्षतिग्रस्त	2.50
10	जयपुर शहर-3	मेहन्दी का बास	छत एवं दीवारों क्षतिग्रस्त	2.50
11	जयपुर शहर-3	सराय दावड़ी	छत एवं दीवारों क्षतिग्रस्त	2.50
12	जयपुर शहर-3	शिवाजी नगर-3	छत एवं दीवारों क्षतिग्रस्त	2.50
13	जयपुर शहर-3	भट्टा बस्ती-7	छत एवं दीवारों क्षतिग्रस्त	2.50
			योग	32.50

गोश्वारा

क्र. सं.	विवरण	मरम्मत कार्यों की संख्या	राशि (लाखों में)
1	बाल विकास परियोजना अधिकारी, जयपुर प्रथम	14	28.00
2	बाल विकास परियोजना अधिकारी, झोटवाडा, जयपुर	10	20.00
3	बाल विकास परियोजना अधिकारी, जयपुर शहर द्वितीय	15	35.50
4	बाल विकास परियोजना अधिकारी, जयपुर शहर तृतीय	13	32.50
	सर्व योग:-	52	116.00

उक्त राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित बजट मद से किया जावेगा :-

2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02 - बाढ़, चक्रवात आदि

107 - खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना

(02) - बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत

[01] - [बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत]

21 - अनुसूचक एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स) प्रतिबद्ध (केन्द्रीय सहायता 75% एवं राज्य निधि 25%)

Validity unknown Signature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.01 13:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
www.jaipur.nic.in

उपरोक्त मरम्मत कार्य निम्न शर्तों के अधीन शर्तों के अधीन करवाये जावेंगे।

1. उपरोक्त मरम्मत कार्य आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान के प्रशासनिक स्वीकृति आदेश दिनांक 29.09.2025 एवं दिशा-निर्देश क्रमांक RAJKAJ REF NO. 16877134 दिनांक 30.07.2025 में अंकित शर्तों एवं राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तथा इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार करवाये जावेंगे।
2. वे कार्य जो Defect Liability Period के तहत आते हैं उनकी मरम्मत राशि राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से देय नहीं होगी।
3. कार्यकारी अभिकरण की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार अनुमत कार्य ही करवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
4. ये सभी कार्य प्रारम्भ किए जाने की तिथि से 30 दिवस की निर्धारित अवधि में ही पूर्ण कराने होंगे। निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा जारी कोष से मरम्मत कराये जाने संभव नहीं होंगे, कार्यकारी विभाग द्वारा विभागीय बजट से पूर्ण कराये जावेंगे।
5. प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार स्वीकृत करवाये गये कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही करवाया जावेगा, इसका प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।
6. कार्यकारी अभिकरण उक्त कार्यों के तकमीना तथा तकमीना स्वीकृति के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी जारी कर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास राज्य बजट मद अनुस्मरण एवं सामग्री मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि उपलब्ध नहीं है तथा उक्त मद में राशि उपलब्ध होने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से राशि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में राशि अवशेष रहने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद को अवशेष राशि पुनर्गणन कर दी जावेगी।
7. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावें।
8. उक्त राशि का व्यय एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत राजकीय भवनों के लिए ही किया जावे।
9. कार्यकारी अभिकरण बिना वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्याभ्यर्म्भ नहीं करेंगे, अगर कार्याभ्यर्म्भ किया जाता है, तो कार्यकारी विभाग के बजट मद से मरम्मत राशि वहन की जावेगी। समयावधि में उपयोग न हो सकने वाली राशि बिना किसी विलम्ब से समर्पित की जावे।
10. उपरोक्त मरम्मत कार्यों के तकमीना/तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी विभाग द्वारा जारी किये जाने के उपरान्त ही इस कार्यालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।
11. उपरोक्त मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावे। इस हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/सहायक अभियन्ता, सा.नि. विभाग, मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की सुनिश्चितता बनाए रखने हेतु समय-समय पर निरीक्षण करें तथा उपखण्ड स्तरीय समिति निर्धारित अवधि में कार्यपूर्णता का निर्धारित पूर्ण प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगी।
12. अंकित कार्यों पर व्यय का अंकेक्षण होने पर अंकेक्षण कराने, आक्षेप अनुपालना पूर्ण कराने की जिम्मेदारी कार्यकारी अभिकरण की होगी।
13. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति में स्वीकृत कार्यों में से यदि मरम्मत कार्य विभागीय बजट मद से पूर्ण करवा लिये गये हैं, तो उन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जावे।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.01 13:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

14. जिन आंगनबाड़ी भवनों को अनुपयोगी/जर्जर, किराये/निजी भवनों में संचालित है, तो उनके लिए स्वीकृत राशि का व्यय नहीं किया जावेगा तथा ऐसे कार्यों की तकनीकी स्वीकृति भी किसी भी स्थिति में जारी नहीं की जावे तथा इस कार्यालय को ऐसे भवनों की सूची पृथक से प्रस्तुत करने का दायित्व कार्यकारी अभिकरण का होगा।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)

जिला कलेक्टर,

जयपुर

दिनांक : 08/10/25

क्रमांक/सम/ 1444

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी, जयपुर।
4. तहसीलदार, जयपुर/कालवाड़ा।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, झोटवाड़ा।
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, झोटवाड़ा/जयपुर प्रथम/जयपुर द्वितीय/जयपुर तृतीय।
7. गार्ड फ़ाइल।

जिला कलेक्टर,

जयपुर

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.08 12:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
www.jaipur.nic.in

दिनांक : 08/10/25

क्रमांक/सहायता/बाढ़/मरम्मत/2025-26/1445

प्रशासनिक स्वीकृति

शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ. 8(37)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/RAJKAJ REF NO. 18048007 दिनांक 29.09.2025 द्वारा जिला जयपुर में मानसून वर्ष 2025 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त आंगनवाड़ी भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरुत्थान हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 120/2025-26 प्रदान की गई है, के अनुसरण में बाल विकास परियोजना अधिकारी, फागी के प्रस्तावित मरम्मत कार्यों की उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अभिशंभा अनुसार नीचे अंकित मरम्मत कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। विवरण इस प्रकार है :-

कार्यकारी अभिकरण : विकास अधिकारी, पंचायत समिति, फागी
बाल विकास परियोजना अधिकारी, फागी, जयपुर

क्र. सं.	तहसील	मरम्मत योग्य सम्पत्ति का नाम/स्थान का नाम	विवरण	राशि (लाखों में)
1	फागी	आंगनवाड़ी केन्द्र हर्षपुरा	खिड़की दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
2	फागी	आंगनवाड़ी केन्द्र टिकेल नरुकान	खिड़की दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
3	फागी	आंगनवाड़ी केन्द्र बूकनी	दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
4	फागी	आंगनवाड़ी केन्द्र लसाडिया-01	खिड़की दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
5	फागी	आंगनवाड़ी केन्द्र कुडली	खिड़की दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
6	फागी	आंगनवाड़ी केन्द्र डाणी बैरवा धुवालिया	दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
7	फागी	आंगनवाड़ी केन्द्र किशोरपुरा	खिड़की छत, व फर्श	2.00
8	फागी	आंगनवाड़ी केन्द्र मण्डप	खिड़की दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
9	फागी	आंगनवाड़ी केन्द्र हथेली	खिड़की दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
10	फागी	आंगनवाड़ी केन्द्र मोहनपुरा रणवा	खिड़की दरवाजे, व फर्श	2.00
11	फागी	आंगनवाड़ी केन्द्र शंकरपुरा	खिड़की दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
12	फागी	आंगनवाड़ी केन्द्र आवण्डिया	खिड़की, छत, व फर्श	2.00
13	फागी	आंगनवाड़ी केन्द्र पिणाच	खिड़की दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
14	फागी	आंगनवाड़ी केन्द्र विमलपुरा	खिड़की दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
15	फागी	आंगनवाड़ी केन्द्र किशोरपजुरा	खिड़की दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
16	फागी	आंगनवाड़ी केन्द्र पावसु	खिड़की दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
17	फागी	आंगनवाड़ी केन्द्र पघाला-02	खिड़की दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
18	फागी	आंगनवाड़ी केन्द्र मण्डावरी-01	खिड़की दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
19	फागी	आंगनवाड़ी केन्द्र ग्वारीयोकी डाणी	खिड़की दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
20	फागी	आंगनवाड़ी केन्द्र रोटवाडा	खिड़की दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
21	फागी	टिकेल पुरोहितान	खिड़की दरवाजे, छत, व फर्श	2.00

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.08 12:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

22	फागी	आंगनवाडी केन्द्र चकवाडा-03	खिडकी दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
23	फागी	आंगनवाडी केन्द्र लदाना-03	खिडकी दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
24	फागी	आंगनवाडी केन्द्र ढाणी सोसायटी देवनगर	खिडकी दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
25	फागी	आंगनवाडी केन्द्र सिरस्या	खिडकी दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
26	फागी	आंगनवाडी केन्द्र नैनस्या	खिडकी दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
27	फागी	आंगनवाडी केन्द्र घुवालिया	खिडकी दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
28	फागी	आंगनवाडी केन्द्र मादनपुरा	खिडकी दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
29	फागी	आंगनवाडी केन्द्र रामपुरा रैल्वे	खिडकी दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
30	फागी	आंगनवाडी केन्द्र केरिया	खिडकी दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
31	फागी	आंगनवाडी केन्द्र भोजपुरा-02	खिडकी दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
32	फागी	आंगनवाडी केन्द्र मोहरपुरा राजावतान	खिडकी दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
33	फागी	आंगनवाडी केन्द्र श्रीरामगंज	खिडकी दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
34	फागी	आंगनवाडी केन्द्र जगन्न्थपुरा	खिडकी दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
35	फागी	आंगनवाडी केन्द्र मेन्दवास-01	खिडकी दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
36	फागी	आंगनवाडी केन्द्र मण्डावरा	खिडकी दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
37	फागी	आंगनवाडी केन्द्र गोपालपुरा	खिडकी दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
38	फागी	आंगनवाडी केन्द्र कुंजबीहारीपुरा	खिडकी दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
39	फागी	आंगनवाडी केन्द्र कुव्यावास	खिडकी दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
40	फागी	आंगनवाडी केन्द्र सालरसू	खिडकी दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
41	फागी	आंगनवाडी केन्द्र सवाई जयसिंहपुरा	खिडकी दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
42	फागी	आंगनवाडी केन्द्र गोविन्दपुरा बासडा	खिडकी दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
43	फागी	आंगनवाडी केन्द्र नन्दलालपुरा	खिडकी दरवाजे, छत, व फर्श	2.00
योग				86.00

उक्त राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित बजट मद से किया जावेगा :-

2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02 - बाढ़, चक्रवात आदि

107 - खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना

(02) - बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत

[01] - [बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत]

21 - अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स) प्रतिबद्ध (केन्द्रीय सहायता 75% एवं राज्य निधि 25%)

उपरोक्त मरम्मत कार्य निम्न शर्तों के अधीन शर्तों के अधीन करवाये जावेंगे।

- उपरोक्त मरम्मत कार्य आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान के प्रशासनिक स्वीकृति आदेश दिनांक 29.09.2025 एवं दिशा-निर्देश क्रमांक RAJKAJ REF NO. 16877134 दिनांक 30.07.2025 में अंकित शर्तों एवं राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तथा इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार करवाये जायेंगे।
- वे कार्य जो Defect Liability Period के तहत आते हैं उनकी मरम्मत राशि राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से देय नहीं होगी।
- कार्यकारी अभिकरण की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ मानदण्डों के अनुसार अनुमत कार्य ही करवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.01 13:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एम जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jalpur.nic.in

4. ये सभी कार्य प्रारम्भ किए जाने की तिथि से 30 दिवस की निर्धारित अवधि में ही पूर्ण कराने होंगे। निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा जारी कोष से मरम्मत कराये जाने संभव नहीं होंगे, कार्यकारी विभाग द्वारा विभागीय बजट से पूर्ण कराये जायेंगे।
5. प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार स्वीकृत करवाये गये कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही करवाया जायेगा, इसका प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।
6. कार्यकारी अभिकरण उक्त कार्यों के तकमीना तथा तकमीना स्वीकृति के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी जारी कर गिजवाना सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास राज्य बजट मद अनुरक्षण एवं सामग्री मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि उपलब्ध नहीं है तथा उक्त मद में राशि उपलब्ध होने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से राशि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में राशि अवशेष रहने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद को अवशेष राशि पुनर्गणन कर दी जावेगी।
7. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
8. उक्त राशि का व्यय एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत राजकीय भवनों के लिए ही किया जावे।
9. कार्यकारी अभिकरण बिना वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्यान्वयन नहीं करेंगे, अगर कार्यान्वयन किया जाता है, तो कार्यकारी विभाग के बजट मद से मरम्मत राशि वहन की जावेगी। समयावधि में उपयोग न हो सकने वाली राशि बिना किसी विलम्ब से समर्पित की जावे।
10. उपरोक्त मरम्मत कार्यों के तकमीना/तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी विभाग द्वारा जारी किये जाने के उपरान्त ही इस कार्यालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।
11. उपरोक्त मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावे। इस हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/सहायक अभियन्ता, सा.नि. विभाग, मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की सुनिश्चितता बनाए रखने हेतु समय-समय पर निरीक्षण करें तथा उपखण्ड स्तरीय समिति निर्धारित अवधि में कार्यपूर्णता का निर्धारित पूर्ण प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगी।
12. अंकित कार्यों पर व्यय का अंकेक्षण होने पर अंकेक्षण कराने, आक्षेप अनुपालना पूर्ण कराने की जिम्मेदारी कार्यकारी अभिकरण की होगी।
13. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति में स्वीकृत कार्यों में से यदि मरम्मत कार्य विभागीय बजट मद से पूर्ण करवा लिये गये हैं, तो उन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जावे।
14. जिन आंगनबाड़ी भवनों को अनुपयोगी/जर्जर, किराये/निजी भवनों में संचालित है, तो उनके लिए स्वीकृत राशि का व्यय नहीं किया जावेगा तथा ऐसे कार्यों की तकनीकी स्वीकृति भी किसी भी स्थिति में जारी नहीं की जावे तथा इस कार्यालय को ऐसे भवनों की सूची पृथक से प्रस्तुत करने का दायित्व कार्यकारी अभिकरण का होगा।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)

जिला कलेक्टर,

जयपुर

दिनांक : 08/10/25

क्रमांक/सम/1446

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी, फागी।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitesh Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.08 11:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

4. तहसीलदार, फागी।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, फागी।
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, फागी
7. गार्ड पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
जयपुर

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.01 12:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

क्रमांक/सहायता/बाढ़/मरम्मत/2025-26/1447

दिनांक : 08/10/25

प्रशासनिक स्वीकृति

शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ. 8(37)आ.प्र. एवं सहा. / बाढ़ / प्रस्ताव / 2025 / RAJKAJ REF NO. 18048007 दिनांक 29.09.2025 द्वारा जिला जयपुर में मानसून वर्ष 2025 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त आंगनवाड़ी भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरुत्थान हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 120/2025-26 प्रदान की गई है, के अनुसरण में बाल विकास परियोजना अधिकारी, सांभर लेक के प्रस्तावित मरम्मत कार्यों की उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अभिशंषा अनुसार नीचे अंकित मरम्मत कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। विवरण इस प्रकार है :-

कार्यकारी अभिकरण : विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सांभर लेक
बाल विकास परियोजना अधिकारी, सांभर, जयपुर

क्र. सं.	तहसील	मरम्मत योग्य सम्पत्ति का नाम / स्थान का नाम	विवरण	राशि (लाखों में)
1	सांभर	चेनपुरा	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
2	सांभर	कडेवली	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
3	सांभर	गुड़ीदडा	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
4	सांभर	निलवो की ढाणी	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
5	सांभर	सायपुरा	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
6	सांभर	रसूलपुरा	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
7	सांभर	खतवाड़ी खुर्द	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
8	सांभर	सहायपुरा	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
9	सांभर	सिवनिया	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
10	सांभर	रसूलपुरा	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
11	सांभर	त्योदा 1	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
12	सांभर	नौरंगपुरा 2	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
13	सांभर	मातेडा	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
14	सांभर	आकोदा 7	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
15	सांभर	जोधा बाबा का कुआ	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
16	सांभर	सामलपुरा	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
17	सांभर	खेड़ीराम 1	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
18	सांभर	आकोदा 3	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
19	सांभर	आकोदा 6	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
20	सांभर	आकोदा 7	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
21	सांभर	सूरसिंह पूरा	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
22	सांभर	पूरा का बाड़ा	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.08 17:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
www.jaipur.nic.in

23	सांभर	काधरोदा 6	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	
24	सांभर	मांझीपुरा	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
25	सांभर	नारायण विहार	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
26	सांभर	रोजडी 3	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
27	सांभर	हिरनोदा 2	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
28	सांभर	हिरनोदा 6	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
29	सांभर	हिरनोदा 8	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
30	सांभर	नांगल	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
31	सांभर	सीतारामपुरा	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
32	सांभर	जावली	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
33	सांभर	गोविंदपुरा	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
34	सांभर	काल्या	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
35	सांभर	मोरडी खुर्द	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
36	सांभर	दोबडी	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
37	सांभर	सिंगला	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
38	सांभर	भिरावता	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
39	सांभर	हचुकडा	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
40	सांभर	रिणगी	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
41	सांभर	मिडक्या	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
42	सांभर	बरडोती 1	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
43	सांभर	नरेना 2	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
44	सांभर	नरेना 4	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
45	सांभर	नरेना 1	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
46	सांभर	नरेना 5	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
47	सांभर	नरेना 9	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
48	सांभर	नरेना 10	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
49	सांभर	वार्ड नं 4	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
50	सांभर	वार्ड नं 5	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
51	सांभर	वार्ड नं 6	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
52	सांभर	सांभर 3	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
53	सांभर	वार्ड 9	खिडकी, फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	2.00
योग				106.00

उक्त राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित बजट मद से किया जावेगा :-

2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02 - बाढ़, चक्रवात आदि

107 - खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना

(02) - बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत

Validity unknown Signature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.06 12:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

[01] - [वाढ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत]

21 - अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स) प्रतिवद्ध (केन्द्रीय सहायता 75% एवं राज्य निधि 25%)

उपरोक्त मरम्मत कार्य निम्न शर्तों के अधीन शर्तों के अधीन करवाये जावेंगे।

1. उपरोक्त मरम्मत कार्य आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान के प्रशासनिक स्वीकृति आदेश दिनांक 29.09.2025 एवं दिशा-निर्देश क्रमांक RAJKAJ REF NO. 16877134 दिनांक 30.07.2025 में अंकित शर्तों एवं राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तथा इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार करवाये जावेंगे।
2. वे कार्य जो Defect Liability Period के तहत आते हैं उनकी मरम्मत राशि राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से देय नहीं होगी।
3. कार्यकारी अभिकरण की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार अनुमत कार्य ही करवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
4. ये सभी कार्य प्रारम्भ किए जाने की तिथि से 30 दिवस की निर्धारित अवधि में ही पूर्ण कराने होंगे। निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा जारी कोष से मरम्मत कराये जाने संभव नहीं होंगे, कार्यकारी विभाग द्वारा विभागीय बजट से पूर्ण कराये जावेंगे।
5. प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार स्वीकृत करवाये गये कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही करवाया जावेगा, इसका प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।
6. कार्यकारी अभिकरण उक्त कार्यों के तकमीना तथा तकमीना स्वीकृति के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी जारी कर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास राज्य बजट मद अनुरक्षण एवं सामग्री मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि उपलब्ध नहीं है तथा उक्त मद में राशि उपलब्ध होने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से राशि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में राशि अवशेष रहने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद को अवशेष राशि पुनर्गणन कर दी जावेगी।
7. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
8. उक्त राशि का व्यय एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत राजकीय भवनों के लिए ही किया जावे।
9. कार्यकारी अभिकरण बिना वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्यालय नहीं करेंगे, अगर कार्यालय किया जाता है, तो कार्यकारी विभाग के बजट मद से मरम्मत राशि वहन की जावेगी। समयावधि में उपयोग न हो सकने वाली राशि बिना किसी विलम्ब से समर्पित की जावे।
10. उपरोक्त मरम्मत कार्यों के तकमीना/तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी विभाग द्वारा जारी किये जाने के उपरान्त ही इस कार्यालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।
11. उपरोक्त मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावे। इस हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/सहायक अभियन्ता, सा.नि. विभाग, मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की सुनिश्चितता बनाए रखने हेतु समय-समय पर निरीक्षण करें तथा उपखण्ड स्तरीय समिति निर्धारित अवधि में कार्यपूर्णता का निर्धारित पूर्ण प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगी।
12. अंकित कार्यों पर व्यय का अंकेक्षण होने पर अंकेक्षण कराने, आक्षेप अनुपालना पूर्ण कराने की जिम्मेदारी कार्यकारी अभिकरण की होगी।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.06 17:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

13. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति में स्वीकृत कार्यों में से यदि मरम्मत कार्य विभागीय बजट मद से पूर्ण करवा लिये गये हैं, तो उन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जाये।
14. जिन आंगनवाड़ी भवनों को अनुपयोगी/जर्जर, किराये/निजी भवनों में संचालित है, तो उनके लिए स्वीकृत राशि का व्यय नहीं किया जायेगा तथा ऐसे कार्यों की तकनीकी स्वीकृति भी किसी भी स्थिति में जारी नहीं की जाये तथा इस कार्यालय को ऐसे भवनों की सूची पृथक से प्रस्तुत करने का दायित्व कार्यकारी अभिकरण का होगा।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)

जिला कलेक्टर,

जयपुर

दिनांक : 08/10/25

क्रमांक/सम/1448

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक।
4. तहसीलदार, सांभर लेक।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सांभर लेक।
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, सांभर लेक।
7. गार्ड फ़ाइल।

जिला कलेक्टर,

जयपुर

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.08 13:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jalpur.nic.in

क्रमांक/सहायता/बाढ़/मरम्मत/2025-26/11119

दिनांक : 68/10/25

प्रशासनिक रवीकृति

शारान उम राधिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ. 8(37)आ.प्र. एवं राहा/बाढ़/प्रस्ताव/2025/RAJKAJ REF NO. 18048007 दिनांक 29.09.2025 द्वारा जिला जयपुर में मानसून वर्ष 2025 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त आंगनवाड़ी भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरुत्थान हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय रवीकृति क्रमांक 120/2025-26 प्रदान की गई है, के अनुसारण में बाल विकास परियोजना अधिकारी, चाकसू के प्रस्तावित मरम्मत कार्यों की उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अतिरिक्त अनुसार नीचे अंकित मरम्मत कार्यों की प्रशासनिक रवीकृति प्रदान की जाती है। विवरण इस प्रकार है :-

कार्यकारी अधिकरण : विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चाकसू,
बाल विकास परियोजना अधिकारी, चाकसू, जयपुर

क्र. सं.	तहसील	मरम्मत योग्य सम्पत्ति का नाम/स्थान का नाम	विवरण	राशि (लाखों में)
1	चाकसू	आंगनवाड़ी केंद्र बारलीपुरा	खिड़की, दरवाजे, छत, फर्श	2.00
2	चाकसू	आंगनवाड़ी केंद्र शिवदारापुरा 3	खिड़की, छत, फर्श	2.00
3	चाकसू	आंगनवाड़ी केंद्र सालगरामपुरा	दरवाजे, छत, फर्श	2.00
4	चाकसू	आंगनवाड़ी केंद्र रामपुरावास गोनेर	खिड़की, दरवाजे, छत, फर्श	2.00
5	चाकसू	आंगनवाड़ी केंद्र कावनी की ढाणी	खिड़की, दरवाजे, छत, दीवार	2.00
6	चाकसू	आंगनवाड़ी केंद्र निमोडिया 1	खिड़की, दरवाजे, छत	2.00
7	चाकसू	आंगनवाड़ी केंद्र नया निमोडिया	खिड़की, दरवाजे, छत, फर्श	2.00
8	चाकसू	आंगनवाड़ी केंद्र रसूलपुरा	खिड़की, दरवाजे, छत, दीवार	2.00
9	चाकसू	आंगनवाड़ी केंद्र अन्केशपुरा	खिड़की, छत, फर्श	2.00
10	चाकसू	आंगनवाड़ी केंद्र विनोदीलालपुरा	छत, फर्श	2.00
11	चाकसू	आंगनवाड़ी केंद्र बाजडोली	खिड़की, दरवाजे, छत, फर्श	2.00
12	चाकसू	आंगनवाड़ी केंद्र तितारिया 2	खिड़की, दरवाजे, छत, फर्श	2.00
13	चाकसू	आंगनवाड़ी केंद्र टुटोली	खिड़की, दरवाजे, छत, फर्श	2.00
14	चाकसू	आंगनवाड़ी केंद्र मारख्या	खिड़की, दरवाजे, छत	2.00
15	चाकसू	आंगनवाड़ी केंद्र महाचंदपुरा	खिड़की, छत, दीवार	2.00
16	चाकसू	आंगनवाड़ी केंद्र जयसिंहपुरा	खिड़की, दरवाजे	2.00
17	चाकसू	आंगनवाड़ी केंद्र किशनपुरा	छत, फर्श, दीवार	2.00
18	चाकसू	आंगनवाड़ी केंद्र सावलिया 1	खिड़की, दरवाजे, छत, फर्श	2.00
19	चाकसू	आंगनवाड़ी केंद्र सावलिया 2	खिड़की, दरवाजे	2.00
20	चाकसू	आंगनवाड़ी केंद्र बृजपुरा	फर्श, छत, शौचालय	2.00
21	चाकसू	आंगनवाड़ी केंद्र हरिजन बस्ती वा नं 11	छत, खिड़की	2.00
			योग	42.00

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.06 11:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

उक्त राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित बजट मद से किया जावेगा :-

2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02 - बाढ़, घक्रवात आदि

107 - खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना

(02) - बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत

[01] - [बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत]

21 - अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स) प्रतिबद्ध (केन्द्रीय सहायता 75% एवं राज्य निधि 25%)

उपरोक्त मरम्मत कार्य निम्न शर्तों के अधीन शर्तों के अधीन करवाये जावेंगे।

1. उपरोक्त मरम्मत कार्य आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान के प्रशासनिक स्वीकृति आदेश दिनांक 29.09.2025 एवं दिशा-निर्देश क्रमांक RAJKAJ REF NO. 16877134 दिनांक 30.07.2025 में अंकित शर्तों एवं राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तथा इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार करवाये जावेंगे।
2. वे कार्य जो Defect Liability Period के तहत आते हैं उनकी मरम्मत राशि राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से देय नहीं होगी।
3. कार्यकारी अभिकरण की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार अनुमत कार्य ही करवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
4. ये सभी कार्य प्रारम्भ किए जाने की तिथि से 30 दिवस की निर्धारित अवधि में ही पूर्ण कराने होंगे। निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा जारी कोष से मरम्मत कराये जाने संभव नहीं होंगे, कार्यकारी विभाग द्वारा विभागीय बजट से पूर्ण कराये जावेंगे।
5. प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार स्वीकृत करवाये गये कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही करवाया जावेगा, इसका प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।
6. कार्यकारी अभिकरण उक्त कार्यों के तकमीना तथा तकमीना स्वीकृति के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी जारी कर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास राज्य बजट मद अनुरक्षण एवं सामग्री मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि उपलब्ध नहीं है तथा उक्त मद में राशि उपलब्ध होने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से राशि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में राशि अवशेष रहने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद को अवशेष राशि पुनर्भरण कर दी जावेगी।
7. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
8. उक्त राशि का व्यय एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत राजकीय भवनों के लिए ही किया जावे।
9. कार्यकारी अभिकरण बिना वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्यारम्भ नहीं करेंगे, अगर कार्यारम्भ किया जाता है, तो कार्यकारी विभाग के बजट मद से मरम्मत राशि वहन की जावेगी। समयावधि में उपयोग न हो सकने वाली राशि बिना किसी विलम्ब से समर्पित की जावे।
10. उपरोक्त मरम्मत कार्यों के तकमीना/तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी विभाग द्वारा जारी किये जाने के उपरान्त ही इस कार्यालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।
11. उपरोक्त मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावे। इस हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/सहायक अभियन्ता, सा.नि. विभाग, मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की सुनिश्चितता बनाए रखने हेतु समय-समय पर निरीक्षण करें तथा उपखण्ड स्तरीय समिति निर्धारित अवधि में कार्यपूर्णता का निर्धारित पूर्ण प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगी।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.01 12:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एयम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
www.jaipur.nic.in

12. अंकित कार्यों पर व्यय का अंकेशन होने पर अंकेशन कराने, आशेष अनुपालना पूर्ण कराने की जिम्मेदारी कार्यकारी अभिकरण की होगी।
13. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति में स्वीकृत कार्यों में से यदि मरम्मत कार्य विभागीय बजट मद से पूर्ण करवा लिये गये हैं, तो उन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जावे।
14. जिन आंगनबाड़ी भवनों को अनुपयोगी/जर्जर, किराये/निजी भवनों में संचालित हैं, तो उनके लिए स्वीकृत राशि का व्यय नहीं किया जावेगा तथा ऐसे कार्यों की तकनीकी स्वीकृति भी किसी भी रिधति में जारी नहीं की जावे तथा इस कार्यालय को ऐसे भवनों की सूची पृथक से प्रस्तुत करने का दायित्व कार्यकारी अभिकरण का होगा।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलेक्टर,
जयपुर

क्रमांक/सम/1450

दिनांक : 08/10/25

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी, चाकसू।
4. तहसीलदार, चाकसू।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चाकसू।
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, चाकसू।
7. गार्ड फत्रावली।

जिला कलेक्टर,
जयपुर

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.08 17:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
www.jaipur.nic.in

क्रमांक/सहायता/बाढ़/मरम्मत/2025-26/1451

दिनांक : 08/10/25

प्रशासनिक स्वीकृति

शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ. 8(37)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/RAJKAJ REF NO. 18048007 दिनांक 29.09.2025 द्वारा जिला जयपुर में मानसून वर्ष 2025 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त आंगनवाड़ी भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरुत्थान हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 120/2025-26 प्रदान की गई है, के अनुसरण में बाल विकास परियोजना अधिकारी, चौमूं एवं गोविन्दगढ़ के प्रस्तावित मरम्मत कार्यों की उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अभिशंका अनुसार नीचे अंकित मरम्मत कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विवरण इस प्रकार है :

कार्यकारी अभिकरण : विकास अधिकारी पंचायत समिति गोविन्दगढ़ (चौमूं) जिला जयपुर।
बाल विकास परियोजना अधिकारी, चौमूं, जयपुर

क्र. सं.	तहसील	मरम्मत योग्य सम्पत्ति का नाम/स्थान का नाम	विवरण	राशि (लाखों में)
1	चौमूं	मलिकपुर ए	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
2	चौमूं	मलिकपुर डी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
3	चौमूं	बाढ़ वाली ढाणी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
4	चौमूं	हस्तेड़ा सी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
5	चौमूं	हस्तेड़ा डी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
6	चौमूं	निवाणा ए	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
7	चौमूं	किशनपुरा बी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
8	चौमूं	किशनपुरा डी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
9	चौमूं	खिद्यडों की ढाणी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
10	चौमूं	आष्टीकलां बी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
11	चौमूं	ढाकावाली	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
12	चौमूं	इन्द्रा कालोनी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
13	चौमूं	डोला की ढाणी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
14	चौमूं	नांगल कलां ए	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.08 17:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
www.jaipur.nic.in

15	चौमूं	बाणयावाली	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
16	चौमूं	गुडलिया ए	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
17	चौमूं	छोटा गुडा ए	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
18	चौमूं	भुतेडा सी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
19	चौमूं	गोविन्दगढ बी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
20	चौमूं	गोविन्दगढ जी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
21	चौमूं	मलिकपुर बी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
22	चौमूं	नृसिंहपुरा ए	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
23	चौमूं	सीतारामपुरा बी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
24	चौमूं	घोबलाई डी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
25	चौमूं	स्याउ ए	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
26	चौमूं	सिंगोद कला बी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
27	चौमूं	राजपूतो का बास	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
28	चौमूं	रावों की ढाणी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
29	चौमूं	सूर्यावाली	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
30	चौमूं	बागडा ब्रिज	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
31	चौमूं	नांगल कोजू सी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
32	चौमूं	मंगरावाली	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
33	चौमूं	ढोढसर	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
34	चौमूं	कुम्भपुरिया	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
35	चौमूं	केरली जोहडी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
36	चौमूं	ईटावा डी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
37	चौमूं	ईटावा ई	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
38	चौमूं	अणतपुरा ए	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
39	चौमूं	अणतपुरा बी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
40	चौमूं	बलेखण ए	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.01 15:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
www.jaipur.nic.in

41	चौमू	लोहरवाडा री	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
42	चौमू	शिगरिया री	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
43	चौमू	भठ ई	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
44	चौमू	लोहरवाडा डी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
45	चौमू	आंगनवाडी केंद्र उदयपुरिया ए	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
46	चौमू	आंगनवाडी केंद्र उदयपुरिया बी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
47	चौमू	आंगनवाडी केंद्र केरली की ढाणी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
48	चौमू	आंगनवाडी केंद्र टांकरडा ए	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
49	चौमू	आंगनवाडी केंद्र डौला का बास	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
50	चौमू	आंगनवाडी केंद्र गौरी का बास	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
51	चौमू	आंगनवाडी केंद्र राधा रूपा की ढाणी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
52	चौमू	आंगनवाडी केंद्र बावडी गोपीनाथ	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
53	चौमू	आंगनवाडी केंद्र कानपुरा ए	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
54	चौमू	आंगनवाडी केंद्र बावडी कुण्ड की ढाणी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
55	चौमू	आंगनवाडी केंद्र सामोद ए	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
56	चौमू	आंगनवाडी केंद्र महार कला ए	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
57	चौमू	आंगनवाडी केंद्र फतेहपुरा ए	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
58	चौमू	आंगनवाडी केंद्र पाल की ढाणी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
59	चौमू	आंगनवाडी केंद्र फतेहपुरा की ढाणी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
60	चौमू	आंगनवाडी केंद्र बुनकर मीणो की ढाणी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
61	चौमू	आंगनवाडी केंद्र कन्या स्कूल	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
62	चौमू	आंगनवाडी केंद्र समरपुरा	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
63	चौमू	आंगनवाडी केंद्र खातियो की ढाणी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
64	चौमू	आंगनवाडी केंद्र काला भाटा	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
65	चौमू	आंगनवाडी केंद्र भौपावास ए	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
66	चौमू	आंगनवाडी केंद्र तेजा जी ढाणी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.01 13:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
www.jaipur.nic.in

67	चौमू	आंगनवाडी केंद्र हाथनीदा बी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
68	चौमू	आंगनवाडी केंद्र हाथनीदा सी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
69	चौमू	आंगनवाडी केंद्र नांगलभरडा ए	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
70	चौमू	आंगनवाडी केंद्र नांगलभरडा सी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
योग				70.00

कार्यकारी अभिकरण : अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका खेजरोली (चौमू) जिला जयपुर।
बाल विकास परियोजना अधिकारी, चौमू (नगर पालिका क्षेत्र खेजरोली), जयपुर

क्र. सं.	तहसील	मरम्मत योग्य सम्पत्ति का नाम/स्थान का नाम	विवरण	राशि (लाखों में)
1	चौमू	निन्दौला	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
2	चौमू	खेजरोली एच	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
योग				2.00

कार्यकारी अभिकरण : आयुक्त, नगरपरिषद चौमू जिला जयपुर।
बाल विकास परियोजना अधिकारी, चौमू (नगर परिषद चौमू), जयपुर

क्र. सं.	तहसील	मरम्मत योग्य सम्पत्ति का नाम/स्थान का नाम	विवरण	राशि (लाखों में)
1	चौमू	आंगनवाडी केंद्र जोगी मोहल्ला	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
2	चौमू	आंगनवाडी केंद्र कृष्णा कॉलोनी	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
योग				2.00

कार्यकारी अभिकरण : अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका कालाडेरा (चौमू) जिला जयपुर।
बाल विकास परियोजना अधिकारी, चौमू (नगर पालिका क्षेत्र कालाडेरा), जयपुर

क्र. सं.	तहसील	मरम्मत योग्य सम्पत्ति का नाम/स्थान का नाम	विवरण	राशि (लाखों में)
1	चौमू	आंगनवाडी केंद्र कालाडेरा एफ	खिडकी, दरवाजे फर्श, दीवार, छत की मरम्मत	1.00
योग				1.00

गोश्वारा

क्र. सं.	विवरण	मरम्मत कार्य की संख्या	राशि (लाखों में)
1	बाल विकास परियोजना अधिकारी, चौमू, जयपुर	70	70.00
2	बाल विकास परियोजना अधिकारी, चौमू (नगर पालिका क्षेत्र खेजरोली), जयपुर	2	2.00
3	बाल विकास परियोजना अधिकारी, चौमू (नगर परिषद चौमू), जयपुर	2	2.00
4	बाल विकास परियोजना अधिकारी, चौमू (नगर पालिका क्षेत्र कालाडेरा), जयपुर	1	1.00

Validity unknown Signature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.01 12:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एचएम जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
www.jaipur.nic.in

राज्य योग:-	75	75.00
-------------	----	-------

उक्त राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित वजेट मद से किया जावेगा :-

- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण सहित
02 - बाढ़, चक्रवात आदि
107 - खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
(02) - बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत
[01] - [बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत]
21 - अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स) प्रतिबद्ध (केंद्रीय सहायता 75% एवं राज्य निधि 25%)

उपरोक्त मरम्मत कार्य निम्न शर्तों के अधीन शर्तों के अधीन करवाये जावेंगे।

- उपरोक्त मरम्मत कार्य आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान के प्रशासनिक स्वीकृति आदेश दिनांक 29.09.2025 एवं दिशा-निर्देश क्रमांक RAJKAJ REF NO. 16877134 दिनांक 30.07.2025 में अंकित शर्तों एवं राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तथा इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार करवाये जावेंगे।
- वे कार्य जो Defect Liability Period के तहत आते हैं उनकी मरम्मत राशि राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से देय नहीं होगी।
- कार्यकारी अभिकरण की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार अनुमत कार्य ही करवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
- ये सभी कार्य प्रारम्भ किए जाने की तिथि से 30 दिवस की निर्धारित अवधि में ही पूर्ण कराने होंगे। निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा जारी कोष से मरम्मत कराये जाने संभव नहीं होंगे, कार्यकारी विभाग द्वारा विभागीय बजट से पूर्ण कराये जावेंगे।
- प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार स्वीकृत करवाये गये कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही करवाया जावेगा, इसका प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।
- कार्यकारी अभिकरण उक्त कार्यों के तकमीना तथा तकमीना स्वीकृति के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी जारी कर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास राज्य बजट मद अनुरक्षण एवं सामग्री मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि उपलब्ध नहीं है तथा उक्त मद में राशि उपलब्ध होने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से राशि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में राशि अवशेष रहने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद को अवशेष राशि पुनर्भरण कर दी जावेगी।
- स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
- उक्त राशि का व्यय एसडीआरएफ नोर्स में अनुमत राजकीय भवनों के लिए ही किया जावे।
- कार्यकारी अभिकरण बिना वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्यान्वयन नहीं करेंगे, अगर कार्यान्वयन किया जाता है, तो कार्यकारी विभाग के बजट मद से मरम्मत राशि वहन की जावेगी। समयावधि में उपयोग न हो सकने वाली राशि बिना किसी विलम्ब से समर्पित की जावे।
- उपरोक्त मरम्मत कार्यों के तकमीना/तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी विभाग द्वारा जारी किये जाने के उपरान्त ही इस कार्यालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।
- उपरोक्त मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावे। इस हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/सहायक अभियन्ता, सा.नि. विभाग, मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की सुनिश्चितता बनाए रखने हेतु

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.01 12:32:26 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

समय-समय पर निरीक्षण करें तथा उपखण्ड स्तरीय समिति निर्धारित अवधि में कार्यपूर्णता का निर्धारित पूर्ण प्रमाण पत्र प्रेषित करेगी।

12. अंकित कार्यों पर ध्याय का अंकेक्षण होने पर अंकेक्षण कराने, आशेष अनुपालना पूर्ण कराने की जिम्मेदारी कार्यकारी अभिकरण की होगी।
13. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति में स्वीकृत कार्यों में से यदि मरम्मत कार्य विभागीय बजट मद से पूर्ण करवा लिये गये हैं, तो उन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जाये।
14. जिन आंगनबाड़ी भवनों को अनुपयोगी/जर्जर, किराये/निजी भवनों में संचालित है, तो उनके लिए स्वीकृत राशि का व्यय नहीं किया जावेगा तथा ऐसे कार्यों की तकनीकी स्वीकृति भी किसी भी स्थिति में जारी नहीं की जावे तथा इस कार्यालय को ऐसे भवनों की सूची पृथक से प्रस्तुत करने का दायित्व कार्यकारी अभिकरण का होगा।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलेक्टर,

जयपुर

दिनांक : 08/10/25

क्रमांक/सम/1452

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी, चौमूं।
4. आयुक्त, नगर परिषद, चौमूं जिला जयपुर।
5. तहसीलदार, चौमूं।
6. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, खेजरोली/कालाडेरा।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गोविन्दगढ़।
8. बाल विकास परियोजना अधिकारी, चौमूं/गोविन्दगढ़।
9. गार्ड पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
जयपुर

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.10.08 12:26 IST
Reason: Approved